अध्याय–एक
निर्माण श्रमिकों के लिए विशिष्ट अधिनियम

1.1 प्रस्तावना –

देश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 92 प्रतिशत असंगठित श्रमिकों का है। संगठित श्रमिक जिनका अनुपात 8 प्रतिशत से कम है, उनका नियमित रोज़गार, उपयुक्त एवं अनुकूल कार्यदशाएँ तथा विभिन्न विकल्पों के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है वहीं असंगठित श्रमिकों को सुनिश्चित रोज़गार, उपयुक्त कार्यदशाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में लगे श्रमिक जिन्हें सामान्य बोलचाल में ''निर्माण मजदूर'' कहा जाता है, असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में आते है। निर्माण श्रमिकों के जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने, अस्थाई एवं अनियमित रोजगार, अनिश्चित कार्यावधि, मूलभूत तथा कल्याणकारी सुविधाओं के अभाव के कारण इनकी स्थिति अत्यंत कमजोर तथा दयनीय होती है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उपाय हेतु विचार किया गया।

1.2 निर्माण श्रमिकों के लिये विशिष्ट अधिनियमों की आवश्यकता –

यद्यपि निर्माण श्रमिकों के लिये एक सामान्य श्रमिक के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विभिन्न कानून पूर्व से प्रभावशील थे, तथापि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण तथा विशिष्ट स्वरूप की सेवा–शर्तों को विनियमित करने की दृष्टि से परिपूर्ण अधिनियम बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस संबंध में राज्य के श्रम मंत्रियों के 41वें सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि निर्माण श्रमिकों के लिए विशिष्ट कार्यदशाएँ, कल्याण तथा सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को विनियमित करने हेतु पृथक से विशिष्ट अधिनियम बनाये जावें। इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में **भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996** को संसद द्वारा पारित किया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 1996 को अभिस्वीकृति दी गई। इस प्रकार निर्माण श्रमिकों को उपयुक्त कार्यदशाएँ, कार्य के दौरान सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996 में निम्न दो अधिनियम प्रभावशील किये गये :–

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996,

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

1.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रमुख प्रावधान

(1) उद्देश्य

इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों की सेवा–शर्तों तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा के संबंध में कल्याणकारी योजनाएँ प्रवर्तित करने के प्रावधान हैं। अधिनियम में निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मंडल के गठन का प्रावधान है। मंडल द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर, उन्हें विभिन्न योजनाओं में देय हितलाभों के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) परिभाषाएं –

1. भवन या अन्य संनिर्माण कार्य

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2 (डी) के अनुसार **'भवन या अन्य संनिर्माण कार्य'** का तात्पर्य :–

(1) भवनों, मार्गों, सड़कों, रेल्वे, ट्रामवे, हवाई मैदानों,
(2) सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण कार्य (वृष्टिजल निकास संकर्म भी)
(3) विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण जल संकर्म (जिसमें जल के वितरण के लिए सरणिया) तेल तथा
(4) गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाइनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार तथा विदेश संचार माध्यमों,
(5) बांधों, नहरों, जलाशयों, जल सरणियों, सुरंगों, पुलों, सेतुओं, जल सेतुओं,
(6) पाइप लाइनों, मीनारों, शीतलन मीनारों (टावर), पारेषण मीनारों को सम्मिलित किया गया है।
(7) इसमें ऐसे कार्य भी हैं, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे या
(8) उनके सम्बन्ध में संनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना शामिल है।
(9) परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य संनिर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे **जिनमें कारखाना अधिनियम 1948 अथवा खदान अधिनियम 1952 के प्रावधान लागू होते हों।**

2. निर्माण श्रमिक

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2(ई) के अनुसार **निर्माण श्रमिक** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है :–

(1) जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिये कार्य करता हो
(2) किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।
उदाहरण के लिये उपयंत्री निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।
(3) ठेकेदार तथा ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, पत्थर, टाईल्स, खपरे, मुरम, मिट्टी जैसी निर्माण सामग्री प्रदाय करने वाले व्यक्ति एवं स्वयं की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति भी निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

(3) स्थापनाओं का पंजीयन

अधिनियम को उन स्थापनाओं में प्रभावशील करना अनिवार्य किया गया जहाँ 10 अथवा अधिक निर्माण श्रमिकों का नियोजन हो। वर्ष में किसी भी दिन 10 अथवा अधिक निर्माण श्रमिकों के नियोजन वाली स्थापनाओं को उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के यहाँ रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि निर्माण श्रमिकों के अस्थाई नियोजन तथा जोखिमपूर्ण कार्य की स्थिति में नियोजक द्वारा सुरक्षा के उचित उपाय एवं दायित्व वहन करने संबंधी प्रावधानों को विनियमित किया जा सके।

(4) कार्यदशायें तथा सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी प्रावधान

अधिनियम में निर्माण श्रमिकों के कार्य के घंटे, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश, अधिसमय कार्य का भुगतान तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के संबंध में भी प्रावधान किये गये। कार्यस्थल के समीप निर्माण श्रमिकों के लिये अस्थाई निवास की व्यवस्था अनिवार्य की गई तथा कार्य में जोखिमपूर्ण एवं दुर्घटना की स्थिति को दृष्टिगत रख सुरक्षा के विविध प्रावधान अधिनियम में किये गये।

(5) कार्य स्थल पर कल्याणकारी उपाय

इस अधिनियम में कल्याणकारी उपायों के अन्तर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किये गये :–

(i) काम के घण्टे तथा साप्ताहिक अवकाश – निर्माण श्रमिकों से दिन में 9 घंटे तथा सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं। सात दिन की प्रत्येक अवधि में एक विश्राम दिवस का प्रावधान।

(ii) अतिकाल कार्य के लिए मजदूरी – अतिकाल कार्य के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर भुगतान।

(iii) शिशु कक्ष – ऐसी स्थापना जहॉ 50 से अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतः नियोजित की जाती हैं, स्त्री कर्मकारों के छः वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये उपयुक्त कमरों की व्यवस्था (पर्याप्त रोशनी, समुचित संवातन, स्वच्छ दशा तथा प्रशिक्षित दाइयों के साथ)।

(iv) कैंटीन – ऐसी प्रत्येक स्थापना, जहॉ कम से कम 250 भवन कर्मकार सामान्य तौर पर नियोजित हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिये कैन्टीन की व्यवस्था।

(6) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान

(i) सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी – ऐसी स्थापना जहॉ 500 या अधिक भवन कर्मकार सामान्यतः नियोजित हैं, सुरक्षा समिति का गठन तथा सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

(ii) दुर्घटनाओं की सूचना – किसी स्थापना में यदि ऐसी दुर्घटना होती है, जो मृत्यु कारित हो या जिससे कर्मकार को ऐसी शारीरिक क्षति पहुॅचे, जिससे वह 48 घण्टे या उससे अधिक समय के लिये कार्य से अनुपस्थित हो जाता है, तो ऐसी दुर्घटना की सूचना स्थानीय श्रम अधिकारी, मुख्य निरीक्षक, मण्डल तथा प्रभावित कर्मकार के परिजनों को दी जायेगी।

(iii) विशेष उपबंध – कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबंधों के अनुसार, भवन कर्मकार की मृत्यु या उसके अशक्त होने पर पूरा प्रतिकर या अंसदत्त अतिशेष नियोजक द्वारा देय।

(iv) भवन या अन्य संनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना – निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के 30 दिन पूर्व स्थान का नाम, पता, व्यक्ति का नाम जो यह कार्य करा रहा है, कार्य की प्रकृति, यदि विस्फोटकों का भंडारण किया जाना है तो उसकी भंडारण की व्यवस्था तथा कार्य की अनुमानित अवधि, आदि की जानकारी के विवरण के साथ लिखित सूचना अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक को दिया जाना अनिवार्य है।

(7) नियम बनाने तथा मुख्य निरीक्षक एवं निरीक्षकों की नियुक्ति

इस अधिनियम में केन्द्र तथा राज्य दोनों को अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गईं हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को विनियमित कराने का दायित्व केन्द्रीय क्षेत्र में महानिदेशक तथा राज्यों के लिए मुख्य निरीक्षक को सौंपा गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा महानिदेशक/मुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षकों व अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति करने के प्रावधान अधिनियम एवं नियम में हैं।

1.4 म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2002

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 40 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियम 2002 बनाए गये। नियम के अंतर्गत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न उपायों हेतु विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं :–

(i) नियोजक द्वारा किसी भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के संनिर्माण स्थल पर पर्याप्त अग्निशमन तथा समुचित दवाब पर पर्याप्त जल, की व्यवस्था। शोर तथा कंपन के बुरे प्रभाव से सुरक्षा के उपाय।

(ii) आपातकालीन कार्य योजना – ऐसे संनिर्माण स्थल जहॉ 500 से अधिक भवन कर्मकार नियोजित किये जाते हैं, आपातकालीन कार्य योजना तैयार कर मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) गतिशील मशीनरी, खतरनाक और चलित पुर्जों के चारों ओर बाढ़ की व्यवस्था।

(iv) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति – 50 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापना के लिये स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति का लिखित कथन तैयार कर मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन के लिये प्रस्तुति।

(v) सुरक्षा उपकरण – सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा गॉगल्स आदि का उपयोग सुनिश्चित करना।

(vi) एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था – पॉच सौ या इससे कम कर्मकार होने की स्थिति में निर्माण स्थल में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था या निकट के अस्पताल में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था। जबकि पांच सौ से अधिक कर्मकारों के नियोजन पर निर्माण स्थल में ही संपूर्ण सुविधायुक्त तथा प्रशिक्षित नर्स की देखरेख में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था।

(vii) एम्बुलेंस वैन की व्यवस्था – नियोजक द्वारा निर्माण स्थल पर एम्बुलेंस वैन की व्यवस्था सुनिश्चित।

(viii) प्राथमिक उपचार पेटिका – निर्माण स्थल पर प्राथमिक उपचार पेटिका की व्यवस्था।

1.5 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996

इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने तथा उपकर की दर निर्धारित करने की शक्तियाँ केन्द्र सरकार में वेष्टित हैं। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उपकर की जो दर निर्धारित की जायेगी उसके अनुसार राज्य सरकारों द्वारा मंडल के लिये प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों से उपकर की वसूली सुनिश्चित की जायेगी। वर्तमान में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.10.96 द्वारा निर्माण लागत का 1 % उपकर की दर निर्धारित है जिसके अनुसार राज्य के मंडलों को भवन एवं अन्य संनिर्माण निर्माताओं द्वारा उपकर राशि देय है। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट–1 संलग्न है।

1.6 राज्य शासन द्वारा नियुक्त विभिन्न प्राधिकारी

भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ–14/5/2011/ए/सोलह, राजपत्र दिनांक 25 नवम्बर 2011 के द्वारा प्राधिकारी नियुक्त किये गये है। उक्त अधिसूचना में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 मई 2013 में प्रकाशन उपरांत आंशिक संशोधन किया गया है। अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट–(2) व (3) में संलग्न हैं।

अध्याय–दो
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

2.1 मण्डल का गठन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में मंडल के माध्यम से विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत हितलाभों का भुगतान कर निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य मंडल को सौंपा गया है। अधिनियम की धारा 18 सहपठित मध्य प्रदेश नियम, 2002 के नियम 251 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 10–04–2003 द्वारा **मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल** का गठन किया गया है। मण्डल के पुर्नगठन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि. 03 जुलाई 2013 की प्रति परिशिष्ट–4 पर संलग्न है।

2.2 अध्यक्ष की नियुक्ति

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 35/19/2014/ ए–16 दिनांक 1 जनवरी 2014 द्वारा राज्य के श्रम मंत्री माननीय श्री अंतर सिंह आर्य को मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं।

2.3 मंडल के सचिव की नियुक्ति

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 265 में राज्य सरकार की पूर्व सहमति से मंडल के सचिव की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रावधानानुसार सचिव उप श्रमायुक्त के पद से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा।

2.4 मंडल मुख्यालय में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति

मंडल मुख्यालय में मंडल के कार्यों के समुचित निर्वहन हेतु मंडल के अनुमोदन से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं :–

तालिका–2.1
मंडल में कार्यरत स्टाफ

क्र.	पद का नाम	कार्यरत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	सचिव	1	श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
2	सहायक सचिव	2	तदैव
3	लेखा अधिकारी	1	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
4	कल्याण अधिकारी	1	अस्थायी आधार पर
5	श्रम निरीक्षक	2	श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
6	कम्प्यूटर आपरेटर	2	संविदा पर
		4	आउटसोर्स पर
7	निम्न श्रेणी लिपिक	6	नियमित
8	वाहन चालक	4	संविदा आधार पर
9	भृत्य	9	संविदा आधार पर

2.5 मंडल के मैदानी कार्य हेतु पदों की स्वीकृति

मंडल के मैदानी कार्य हेतु प्रदेश के 50 जिलों में मंडल के कार्यालय एवं स्टाफ हेतु 335 पदों की स्वीकृति शासन द्वारा दी जा चुकी है तथा मण्डल में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम म.प्र. राजपत्र दिनांक 16.03.2012 भाग 4 (ग) पृष्ठ क्र. 192 से 202 प्रकाशित हो चुके हैं।

2.6 मंडल की बैठक

मंडल की अब तक 30 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं। उक्त बैठकों में मंडल द्वारा लिये गए निर्णयानुसार कार्रवाई संपादित की गई है। मंडल की बैठक तथा आयोजित दिनांक के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैं:–

तालिका–2.2

मंडल की बैठकें

क्र.	बैठक	दिनांक
1	प्रथम बैठक	26–04–03
2	द्वितीय बैठक	07–06–03
3	तृतीय बैठक	05–08–03
4	चतुर्थ बैठक	10–02–04
5	पांचवी बैठक	31–07–04
6	छठवीं बैठक	16–12–04
7	सातवीं बैठक	11–08–05
8	आठवीं बैठक	31–01–06
9	नवीं बैठक	04–09–06
10	दसवीं बैठक	24–04–07
11	ग्यारहवीं बैठक	20–02–08
12	बारहवीं बैठक	22–04–08
13	तेरहवीं बैठक	12–06–08
14	चौदहवीं बैठक	22–07–08
15	पन्द्रहवी बैठक	12–12–08
16	सोलहवीं बैठक	07–03–09
17	सत्रहवी बैठक	06–06–09
18	अठारहवी बैठक	29–03–10
19	उन्नसवी बैठक	09–09–10
20	बीसवीं बैठक	14–03–11
21	इक्कीसवीं बैठक	03–08–11
22	बाइसवी बैठक	14–03–12
23	तैइसवी बैठक	09–07–12
24	चौबीसवी बैठक	01–10–12
25	पच्चीसवीं बैठक	06–11–12
26	छव्वीसवीं बैठक	20–11–12
27	सत्ताइसवी बैठक	25–03–13
28	अठ्ठाइसवी बैठक	04–04–13
29	उन्तीसवी बैठक	16–04–2013
30	तीसवी बैठक	16–07–2013

अध्याय– तीन
श्रमिकों का पंजीयन

3.1 पात्रता

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन के लिये श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पिछले 12 माहों में कम से कम 90 दिन निर्माण क्षेत्र में काम करना अनिवार्य है।

3.2 प्राधिकारी

भवन कर्मकारों के हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के लिये म.प्र.राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना (भाग–1 पृष्ठ क्रमांक 2201) द्वारा निम्नानुसार प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं–

ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी/ नगरपालिका/नगर परिषद

3.3 पंजीयन शुल्क तथा प्रकिया – पंजीयन/परिचय पत्र के आवेदन हेतु रू. 15/– का शुल्क निर्धारित है।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु –

(1) अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर, 2012 **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रथम बार पंजीयन पॉच वर्ष के लिये ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर रूपये 15 (5 रूपये पंजीयन शुल्क तथा रूपये 10 पांच वर्षो के लिये अभिदाय के रूप में) राशि का नगद भुगतान कर किया जा सकेगा।

(2) शुल्क प्राप्ति की रसीद ग्राम पंचायत द्वारा अथवा जनपद पंचायत आवेदक को दी जावेगी। आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति एवं तद्नुसार पंजीयन आदेश संबंधी निर्णय हेतु सचिव, ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(3) पंजीयन की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा श्रम विभागीय, पोर्टल http://mpsc.mp.nic.in/labourportal द्वारा की जायेगी।

(4) पंजीयन आदेश के पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के हस्ताक्षर से पोर्टल से प्राप्त फोटो परिचय–पत्र जारी किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र हेतु –

(1) अधिसूचना दिनांक 14.09.2012 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिये भी प्रथम बार पंजीयन पॉच वर्ष के लिये ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर रूपये 15 (5 रूपये पंजीयन शुल्क तथा रूपये 10 पांच वर्षो के लिये अभिदाय के रूप में) नगद भुगतान कर किया जा सकेगा।

(2) शुल्क प्राप्ति की रसीद जिसमे आवेदक का नाम, पता एवं आवेदन–पत्र प्राप्त करने की दिनांक अंकित हो, नगरीय निकाय द्वारा आवेदक को दी जायेगी तथा प्राप्त शुल्क संबन्धित कार्यालय द्वारा जमा कर मण्डल को देय होगा।

(3) पंजीयन की कार्यवाही श्रम विभागीय पोर्टल http://mpsc.mp.nic.in/labourportal के माध्यम से की जायेगी।

(4) पंजीयन आदेश के पश्चात पदाभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर से पोर्टल से प्राप्त फोटो परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

पंजीयन हेतु विशेष निर्देश :–

1. राज्य शासन के राजपत्र दिनांक 14 सितम्बर 2012, अधिसूचना क्रमांक एफ–14–2–2012–ए–16 द्वारा पंजीकृत श्रमिको की सदस्यता के लिये 5 वर्ष के पंजीयन एवं निरंतरण हेतु 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

2. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे पंजीयन हेतु पात्र आवेदन–पत्र तत्काल स्वीकार करते हुए उसका पंजीयन अधिकतम 30 कार्यदिवस के भीतर कर दिया जाय। आवेदन–पत्र प्राप्त कर उसकी रसीद जिसमे आवेदक का नाम एवं पता तथा आवेदन–पत्र प्राप्त करने का दिनांक अंकित हो उसे दी जावे।

3. हिताधिकारी को पंजीयन एवं योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

3.4 अपील

पंजीयन हेतु सेवा प्रदाय करने की कार्यसीमा 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है तथा पंजीयन अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2014 परिशिष्ट–7 के अनुसार हैं।

अध्याय–चार
निर्माण श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाऐं

4.1 मण्डल द्वारा प्रभावशील योजनाएँ (प्रमुख प्रावधान एवं दिशा निर्देश) :– उक्त प्रावधानित प्रसुविधाओं में से निम्न प्रसुविधाओं के संबंध में मंडल द्वारा निम्न योजनाएँ शासन के अनुमोदन से अधिसूचना जारी कर प्रभावशील की गई हैं :–

तालिका–4.1

मण्डल द्वारा प्रभावशील योजनाऐं

क्र	योजना का नाम	प्रभावी दिनांक
1	प्रसूति सहायता योजना – 2004	13.12.04
2	चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना – 2004	30.09.04/3.12.04
3	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता – 2004	30.09.04
4	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना – 2004	13.12.04
5	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना – 2004	13.12.04
6	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना – 2004	3.12.04
7	कौशल प्रशिक्षण योजना 2012	12.10.12
8	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार योजना, 2012	16.08.13
9	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना, 2013	27.09.13
10	पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013	16.08.13
11	सुपर 500 (कक्षा 10) योजना, 2013	16.08.13
12	सुपर 500 (कक्षा 12) योजना, 2013	16.08.13
13	व्यावसायिक पाठ्यक्रमो हेतु अध्ययन अनुदान योजना, 2013	16.08.13
14	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (शहरी) योजना, 2013	27.09.13
15	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना, 2013	27.09.13
16	श्रमिक रैन बसेरा योजना 2014	15.08.2014
17	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना 2014	05.12.2014
18	व्यावसायिक (यू.जी/पी.जी.) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014	05.12.2014
19	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014	05.12.2014
20	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014	05.12.2014
21	सायकल अनुदान योजना 2014	13.03.2015
22	दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना 2014	13.03.2015
23	शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना 2015	18.08.2015

उक्त योजनाओं में समय–समय पर संशोधन होते रहे। वर्तमान में संशोधन पश्चात् योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :–

1. प्रसूति सहायता योजना

(1) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी पंजीबद्ध हो एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं।

(2) म.प्र. राजपत्र दिनांक 16 अगस्त 2013 के भाग–4(ग) परिशिष्ट–6 **तथा म.प्र.राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2014 (भाग–4–ग पृष्ठ संख्या 300)** परिशिष्ट–6.1 में प्रसारित अधिसूचना अनुसार हिताधिकारी महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में 45 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रसूति हितलाभ के रूप में देय होगा। प्रसूति के उपरांत हिताधिकारी महिला श्रमिक को शहरी क्षेत्र हेतु 1 हजार तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1400 रू. पौष्टिक आहार हेतु देय होगा। हिताधिकारी पुरूष श्रमिक को उसकी पत्नि की प्रसूति के पश्चात 15 दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन पितृत्व अवकाश के रूप में देय होगा।

(3) हितलाभ तथा पदाभिहित अधिकारी की जानकारी परिशिष्ट–6, 6.1, 7 तथा 7.1 **में संलग्न है।**

(4) निर्माण श्रमिक चाहे पुरूष हो या स्त्री, पति हो या पत्नी मे से कोई भी निर्माण श्रमिक के रूप मे पंजीयत है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा। किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं मे कार्य कर रही निर्माण श्रमिक की पत्नी को प्रसूति सहायता का लाभ नहीं दिया जाएगा, परन्तु यदि निजी एवं अन्य संस्था मे श्रमिक कार्यरत है तो उसे इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि मे मासिक अभिदाय जमा करने की चूक करते हैं उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रसूति होने के दिनांक से अधिक्तम 60 दिन के भीतर, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/नगरीय निकाय. कार्यालय में 60 दिन की समयावधि के अन्दर निर्धारित प्रारूप मे आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन करनें पर आवेदन पत्र की जॉच उपरांत पात्र पाये जानें की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा इसे स्वीकृत किया जावेगा।

(6) हितग्राहियों को हितलाभ की राशि एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में प्रदान की जायेगी।

(7) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **प्रसूति सहायता योजनांतर्गत** 2,53,470 निर्माण श्रमिकों को 1,33,99,15,313 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

2. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)– 2004

1. यह योजना उन निर्माण कर्मकारों, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में लगे है तथा अधिनियम की धारा – 12 के अंतर्गत पंजीबद्व है एवं अधिनियम की धारा – 13 के अधीन हिताधिकारी परिचय – पत्र धारक है, के तथा उनके परिवार के, उपचार (बीमारी अथवा दुर्घटना की स्थिति में) हेतु होगी। योजनांतर्गत परिवार निम्नानुसार परिभाषित है – पति, पत्नी, नाबालिक बच्चे, आश्रित माता–पिता एवं आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री की बड़ी/गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अनुदान देने हेतु होगी। (परिशिष्ट–8)

2. परिवार से आशय

(i) स्वयं हिताधिकारी

(ii) हिताधिकारी की पत्नी/पति

(iii) हिताधिकारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित उसके माता–पिता तथा अवस्यक संतान जिसमें सम्मिलित है धर्मज संतान, विधिक रूप से गोद ली गई संतान तथा सौतेली संतान

(iv) आश्रित विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री

3. योजना का विवरण – इस योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है :–

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपचार योजना।

(ii) राज्य बीमारी सहायता योजना।

(iii) मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना।

जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता धारित करते होंगे, उन्हें संबंधित योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत/ मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तथा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना हेतु अधिकृत अस्पतालो/ म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से मान्यता प्राप्त अस्पतालो में ईलाज कराने पर होगी (अधिसूचना क्रमांक 6417 दिनांक 24 अप्रैल 2015 **परिशिष्ट–8.1**) और उन्हें देय समस्त हितलाभ राशि मण्डल की निधि से देय न होकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बजट में योजना अन्तर्गत उपलब्ध राशि से दी जाएगी। पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक, जो कि बी.पी.एल. श्रेणी या योजना अंतर्गत निर्धारित आय सीमा अंतर्गत नहीं होने से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बजट राशि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हैं, किन्तु सहायता प्राप्त करने हेतु योजना अन्तर्गत पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूर्ण करते हैं, उन्हें सहायता राशि योजना अंतर्गत दी गई प्रक्रिया अनुसार मंडल के द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से स्वीकृत की जाएगी।

4. योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि हेतु प्रक्रिया – योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन का प्रारूप, आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया, लाभ प्राप्ति हेतु पात्रता संबंधी अन्य मापदण्ड, उपचार हेतु चिकित्सालयों का निर्धारण, रेफरल संबंधी प्रक्रिया व अन्य सभी निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त चिकित्सा संबंधी योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए अनुसार ही होंगे।

5. म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **चिकित्सा सहायता योजनांतर्गत** 7303 निर्माण श्रमिकों को 19,77,23,305 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

6. पदाभिहित अधिकारी – उक्त योजना अंतर्गत पदाभिहित तथा अपीलीय अधिकारी निम्न तालिका अनुसार हैं:–

सेवा क्र	सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय–सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
	चिकित्सा सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	**ग्रामीण क्षेत्र** **अ.**विकासखंड चिकित्सा अधिकारी राशि रू. 30,000 तक	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ब. कलेक्टर राशि रू. 1 लाख तक (जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल
		स. आयुक्त राशि रू. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क.क. मण्डल	15 कार्य दिवस	बोर्ड
		द. सचिव मण्डल राशि रू. 3 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल	15 कार्य दिवस	बोर्ड
		शहरी क्षेत्र **अ.** सिविल सर्जन या अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल /संबंधित अस्पताल राशि रू. 30,000 तक	10 कार्य दिवस	संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ब. कलेक्टर राशि रू. 1 लाख तक (जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	म.प्र.भ. स.क. क.मण्डल
		स. आयुक्त राशि रू. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क.क. मण्डल	–	बोर्ड
		द. सचिव मण्डल राशि रू. 3 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर)	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क.क. मण्ड	–	बोर्ड

जिलास्तरीय समिति से आशय राज्य बीमारी सहायता निधि से गठित समिति से है।

3. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना

(1) संशोधित योजना के प्रावधान म.प्र. राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2014 के अनुसार पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुर्नविवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक एकल विवाह के लिये रूपये 25000 प्रति विवाह सहायता देय होगी। न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रूपये 23,000 सहायता एवं इसके अतिरिक्त रूपये 2000 प्रति विवाह, सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से देय होगी। संशोधित योजना के प्रावधान म.प्र. राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2014 भाग–4 ग, पृष्ठ क्रमांक 300 परिशिष्ट–6.1 में प्रकाशित है।

(2) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिये लागू होगी। पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम 5 महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

(3) आवेदिका को विवाह की प्रस्तावित तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला श्रमिक के स्वयं अथवा निर्माण श्रमिक की पुत्री का होना चाहिए। निर्माण श्रमिक (पिता/माता) का नहीं। आवेदिका (पुत्री होने पर) के पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रो अंतर्गत, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र में श्रम कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय में समयावधि के अन्दर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन अवधि को एक दिन पूर्व तक किया जाना प्रस्तावित है।

(4) पात्रता की जांच उपरांत, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रकरण को स्वीकृत कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों के लिये स्वीकृति के अधिकार आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद को है।

(5) हितग्राहियो को हितलाभ की राशि म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पोर्टल के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में प्रदान की जावेगी।

(6) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **विवाह सहायता योजनांतर्गत** 71647 निर्माण श्रमिकों को 86,50,98,791 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

4. शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना

(1) दिनॉक 10.07.2008 की अधिसूचना द्वारा इसका नाम ''शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना'' कर दिया गया है। योजना के प्रावधानानुसार छात्र/छात्राएं जो कि कक्षा 1 से 5वी तक, कक्षा 6 से 8वीं, कक्षा 9 से 12वीं तक, स्नातक स्तर बी.ए., बी.काम, बी.एस.सी, बी.ई, एम.बी.बी.एस तथा अन्य सभी स्नातक स्तर की व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं मे जैसे एम.ए, एम. काम, एम.एस.सी, एम.सी.ए., एम.ई, एम.डी, एम.एस. स्नातकोत्तर स्तर व्यवसायिक परीक्षा उच्च अध्ययन तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई, पॉलीटेक्निक, डी.सी.ए. आदि की शिक्षा शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था मे प्राप्त कर रहे हों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी।

प्रोत्साहन राशि का कक्षावार विवरण (म.प्र. राज्यपत्र दिनांक 11.08.06 भाग–4(ग) पृष्ठ 432 में प्रकाशित) निम्नानुसार हैः–

तालिका–4.3

प्रोत्साहन राशि का विवरण

क्र.	प्रोत्साहन हेतु कक्षावार पात्रता	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1	कक्षा 1, से 5 तक	500	800
2	कक्षा 6वीं, से 8वीं	1000	1,200
3	9वीं एवं 12वीं	1,200	1,700
4	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम./डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम आदि	3,000	4,000
5	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम.ए./एम.एस.सी./एम. कॉम/स्नातकोत्तर डिपलोमा आदि	5,000	6,000
6	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे अध्ययनरत होने पर	6,000	8,000
7	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी एच डी या शोध कार्य करनें पर	8,000	10,000

(2) पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी इस योजना के लिये पात्र होंगे। छात्र अथवा छात्रा शिक्षण संस्था मे नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हों। हिताधिकारी की पत्नी को प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिये यह आवश्यक शर्त है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था मे नियमित अध्ययनरत छात्रा हो। किसी पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को एक समय मे प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति/पत्नी दोनो पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हों, इस परिस्थिति मे पति/पत्नी के अधिकतम दो ही शिक्षारत बच्चों को इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी। किसी वर्ष के लिये प्रोत्साहन राशि सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात ही देय होगी। ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा तीन माह में प्रवेश प्राप्त कर यदि उपस्थित होता है तब ही उसे प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन–पत्र भरकर 31 मार्च तक प्राप्त किये जा सकेंगे।

(3) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(4) विद्यालयीन छात्र/छात्राओ के प्रकरणों मं समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राशि छात्रवृत्ति हेतु नोडल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग के समेकित छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जारी की जावेगी।

वर्ष 2014–15 हेतु शिक्षा संवर्ग योजनाओ (शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना/मेधावी छात्र–छात्राओ को नगद पुरूस्कार योजना) के अंतर्गत राशि की स्वीकृति योजना में उल्लेखित संबंधित पदाभिहित अधिकारियो द्वारा समेकित शिक्षा पोर्टल के माध्यम से की जावेगी।

पोर्टल जनरेटेड स्वीकृत हितलाभ राशि की सूची (जिसमे कि छात्र/छात्रा अथवा हितग्राही के बैंक अकाउंट नम्बर तथा बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड भी उल्लेखित होता है) संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय को उक्त सूची प्रेषित की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त सूची की सरसरी जांच उपरांत राशि उल्लेखित एकांउट में आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित की जायेगी। परिशिष्ट–8.2

इस योजना के संशोधित प्रावधान म.प्र. राजपत्र दिनांक 13.09.2013 द्वारा पृष्ठ क्र 572–73 तथा दिनांक 01 अगस्त 2014 भाग 4–ग पृष्ठ क्रमांक 310 पर प्रकाशित है। परिशिष्ट–9 एवं 9.1 योजना के अंतर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी निम्नानुसार हैः–

क.	प्रावधान	
	कक्षा	पदाभिहित अधिकारी
1	**कक्षा 1 से 5** छात्र – 500/– छात्रा – 800/– **कक्षा 6 से 8** छात्र – 1000/– छात्रा – 1200/– **कक्षा 9 से 12** छात्र – 1200/– छात्रा – 1700/–	**(i)शासकीय माध्यमिक शाला व समीपस्थ संबंद्व की गई शासकीय प्राथमिक शालाओं में – प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला,** **(ii)शासकीय हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला में – शाला प्राचार्य** **(iii) अशासकीय शालाओं में(कक्षा 1 से कक्षा 12 तक) – संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय**
	स्नातक कक्षा **छात्र – 3000/–** **छात्रा – 4000/–** **स्नातकोत्तर कक्षा** **छात्र – 5000/–** **छात्रा – 6000/–** **स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम** **छात्र – 6000/–** **छात्रा – 8000/–** **स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा, पीएचडी तथा शोध कार्य** **छात्र – 8000/–** **छात्रा – 10,000/–**	**संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य** **संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य** **संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य** **संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य**

2. महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया :–

(i) योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन प्राप्तकर्ता महाविद्यालय यदि शासकीय महाविद्यालय न होकर शासकीय मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय है तो ऐसी स्थिति में निजी महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन पत्र अपने प्रमाणीकरण सहित निर्धारत अग्रणी शासकीय महाविद्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

(ii) तत्पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे तथा शहरी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण संबंधि नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे,

(iii) पदाभिहित अधिकारियों अर्थात आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा आवेदनकर्ता विद्यार्थियों का पात्रता परीक्षण व प्राप्त सूची का परीक्षण कर राशि स्वीकृत कर छात्र/छात्राओ के बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से प्रोत्साहन राशि जमा की जाएगी।

3. म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 **में शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत** 23,64,181 निर्माण श्रमिक अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों को 2,00,82,15,373 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना में यह प्रावधान है कि अन्य समकक्ष योजनाओं में लाभ प्राप्त होने पर भी इस योजना में अतिरिक्त लाभ हिताधिकारी को प्रदान किया जा सकेगा।

5. मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना

(1) मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरूस्कार योजना के अंतर्गत परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत निर्माण कर्मकारों की ऐसी समस्त संतानें जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं मे से कोई भी परीक्षा **प्रथम श्रेणी** के अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा मे अहर्ता प्राप्त कर सम्बन्धित व्यवसायिक पाठ्यक्रम मे प्रवेश प्राप्त कर लिया हो योजना के पात्र होंगे। प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित ''नगद पुरस्कार'' राशि एक मुश्त देय होगी (म.प्र. राजपत्र दिनांक 18.07.14 भाग–4(ग) पृष्ठ 303–306 में प्रकाशित) परिशिष्ट–10

तालिका–4.4

नगद पुरस्कार राशि का विवरण

क्र.	कक्षा	पुरस्कार राशि	
		छात्र	छात्रा
1	5वीं, 6वीं एवं 7वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	2,000	3,000
2	8वीं एवं 9 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	3,000	4,000
3	10 वीं एवं 11 वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	4,000	6,000
4	12 वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	6,000	8,000
5	स्नातक कक्षाओं जैसे–बी.ए./बीएससी/बी.कॉम आदि प्रत्येक वर्ष के लिये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	8,000	10,000
6	स्नातकोत्तर कक्षाओं जैसे एम.ए/एम.एस.सी./एम.कॉम आदि प्रत्येक वर्ष के लिए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर	10,000	12,000
7	स्नातक स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर	4,000	4,000

8	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में चयन होने पर	6,000	6,000

(2) मण्डल की छात्रवृत्ति योजना 2004 अथवा अन्य विभाग या संस्था के नियम/योजना के प्रवधानानुसार छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा इस योजना के अधीन नगद पुरस्कार का लाभ प्राप्त करने में बाधक नही होंगा। पंजीबद्ध हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को जो 5वी बोर्ड परीक्षा से स्नातकोत्तर तक के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की किसी भी स्तर की वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेणी के अंक (60 प्रतिशत) प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए हों, को नगद पुरस्कार के रूप मे सहायता प्रदाय की जायेगी। यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम मे प्रवेश पश्चात इस योजना के अंतर्गत ''नगद पुरस्कार'' राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम मे न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र मे अध्ययन रोक देने की स्थिति मे नगद पुरस्कार की राशि वापस जमा करनी होगी। ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय/संस्था की किसी योजनांतर्गत नगद पुरस्कार राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति मे वह दो योजनाओं का एकसाथ लाभ नहीं उठा सकता है। योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र 31 मार्च तक जमा किये जा सकते है।

(3) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **मेधावी छात्र/छात्रा को नगद पुरूस्कार योजनांतर्गत** 2,48,042 निर्माण श्रमिक अथवा उनकी संतानो को 24,85,60,593 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

शेष प्रक्रिया शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना के अनुरूप है।

6. मृत्यु की दशा मे अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

(1) मृत्यु की दशा मे अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना के अन्तर्गत पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की दशा मे अनुग्रह राशि – पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी, (अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2014 के अनुसार) – (परिशिष्ट–11)

1. सामान्य मृत्यु की दशा में:–
   (i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर रू. 75 हजार
   (ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रू. 25 हजार
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 2 लाख (दिनांक 07 अगस्त 2015 (परिशिष्ट–11.1))
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रू. 75 हजार

इस राशि की स्वीकृति करते समय दुर्घटना स्थल पर कार्य की पर्याप्त जांच तथा अपंगता का स्पष्ट प्रमाण लिया जाये। ऐसे प्रकरण स्वीकृति के पूर्व सहमति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा मण्डल के मुख्यालय को अनुमोदन के लिये सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ भेजा जाना होगा।

(2) 18 से 60 वर्ष की उम्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत पंजीयन होगा अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गयी आत्म हत्या या मादक द्रव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन कर के एक दूसरे से हुई मार–पीट से हुई मृत्यु की स्थिति मे उक्त राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

(3) उत्तराधिकारी की ओर से निर्माण श्रमिक की मृत्यु के 6 माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे। मृत्यु के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण–पत्र देखकर छायाप्रति अभिलेख मे रखी जाए। आवेदन के साथ मूल पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रो अंतर्गत, जनपद पंचायत को निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करना होगा। शहरी क्षेत्र में

श्रम कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय में समयावधि के अन्दर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र की जॉच करनें पर पात्र पाये जानें की स्थिति में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा इसे स्वीकृत किया जावेगा।

(4) ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अध्यक्ष जनपद पंचायत की अनुमति अथवा अनुमति की प्रत्याशा मे प्रकरण को स्वीकृत कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों मे संबंधित निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपरोक्त प्रावधानानुसार स्वीकृति हेतु सक्षम होंगे।

(5) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु के तुरन्त अथवा एक सप्ताह के अंदर रू. 5,000 अंत्येष्टि सहायता राशि नगद दी जायेगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को सहायता प्रदान की जावेगी, यह राशि उत्तराधिकारी को एक से छ' माह की अवधि मे यथासंभव प्रदान की जावेगी। हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नी या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा को राशि का भुगतान किया जावेगा। योजना मे उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति मे अध्यक्ष का इस संबंध मे निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

(6) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **मृत्यु की दशा मे अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजनांतर्गत** 28,967 निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित को 69,04,35,013 रूपये का हितलाभ वितरित किया गया।

7. कौशल प्रशिक्षण योजना

(1) इस योजना का नाम मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना 2012 है। योजना तथा उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन (परिशिष्ट–12 से 12.4 तक) में संलग्न है।

(2) हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष की हो अथवा 16 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्य, जिनका चयन शासन के किसी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा संचालित अथवा अधिकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा कौशल विकास केंद्र अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता अथवा प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु किया जाए, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके कौशल का विकास करना इस सेवा का उद्देश्य है।

(3) यह योजना डी जी इ टी (Director General Education and Traning) द्वारा संचालित एस डी आई एस (Skill development intative scheme) के अनुरूप एम ई एस माड्यूल (Modular employable scheme) अनुसार संचालित की जा रही है।

(4) यह योजना तीन प्रकार की संस्थाओं के साथ संचालित की जा रही है:–

(i) **ATP** संस्थाऐं – भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी संस्थायें जो MES (Modular employable scheme) के अनुरूप प्रशिक्षण संचालित करते हैं।

(ii) **VTP** संस्थाऐं – म.प्र. शासन MPCVET (Madhya Pradesh council for vocational and education & training) (तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) द्वारा अनुमोदित संस्थाऐं।

(iii) भारत सरकार द्वारा सीधे संचालित प्रशिक्षण प्रदान संस्थाऐं–

(5) मण्डल द्वारा उपरोक्त संस्थाओं का जिलेवार तथा ट्रेडवार चयन किया जायेगा।

(6) कौशल विकास योजना के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक (18 से 45 आयुवर्ग) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (16 से 45 आयुवर्ग) पात्र होंगे।

(7) योजनांतर्गत न्यूनतम 6 माह पूर्व से पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही पात्र हितग्राही होंगे।

(8) योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा संबंधित जिले के श्रम पदाधिकारी को आवेदन किया जाएगा।

(9) मण्डल द्वारा चयनित संस्थाओं में यदि पात्र हितग्राही द्वारा सीधे आवेदन किया जाता है, तो उपरोक्त की जानकारी संस्था द्वारा संबंधित जिले के श्रम अधिकारी को दी जायेगी।

(10) कौशल प्रशिक्षण योजना हेतु प्रशिक्षण संस्था द्वारा हितग्राही की काउंसलिंग एवं आवश्यक जांच उपरांत चयन किया जाएगा तथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाये जाने पर श्रम पदाधिकारी को चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रेषित की जायेगी।

(11) प्राप्त सूची पर संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा 15 दिवस में अनुमोदन प्रदान किया जायेगा तथा अनुमोदित सूची संबंधी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को प्रेषित की जावेगी।

1. प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित जिले के अधिकारी द्वारा योजना मद की राशि से किया जाएगा।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं को
    - प्रथम किश्त प्रवेश के एक माह के उपरांत– कुल देय राशि का 30 प्रतिशत (भुगतान करने के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थित पत्रक की सत्यापित प्रति प्राप्त करना आवश्यक होगा)
    - द्वितीय किश्त– कुल देय राशि का 30 प्रतिशत– परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत (भुगतान के पूर्व परीक्षा उर्त्तीण होने संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करना आवश्यक होगा), परीक्षा से आशय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम डी.ई.जी.टी. द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा ली गई परीक्षा से है।
    - तृतीय एवं अंतिम किस्त– प्रवेश प्राप्त कुल भुगतान हिताधिकारियों के न्यूनतम 70 प्रतिशत को निरंतर व्यवसाय में 3 माह तक कार्यरत् रहने के उपरांत– शेष 40 प्रतिशत राशि (भुगतान के पूर्व व्यवसाय में तीन माह तक कार्यरत रहने संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें वेतन पर्ची, बैंक की पासबुक एवं रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा)
3. एटीपी संस्थाओ से मण्डल द्वारा वित्तीय निविदा प्राप्त कर प्रशिक्षण की दरें निर्धारित की गई है, एटीपी संस्थाओ हेतु देय दरों का उल्लेख संपादित एमओयू में है।
4. ए.टी.पी. संस्थाऐं तथा एम.एस.एम.ई व सीपेट को किये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क भुगतान की दर मण्डल द्वारा उनके साथ किये गये एम.ओ.यू में उल्लेखित दरों के अनुसार प्रति श्रमिक प्रति घण्टे की दर से गणना कर भुगतान की जावेगी।

(क) आवासीय/परिवहन भत्ते का भुगतानः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम अवधि	श्रेणी ए के शहरो में	अन्य शहरों में
1	90 घण्टे तक	रू. 300	रू. 200
2	91 से 180 घण्टे तक	रू. 500	रू. 400
3	181 से 270 घण्टे तक	रू. 700	रू. 600
4	270 घण्टे से अधिक	रू. 1000	रू. 800

1. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 3 माह (540 घण्टे) से अधिक अवधि के हों, में प्रशिक्षणरत हितग्राहियो को 1500 रू. प्रतिमाह की दर से परिवहन/आवासीय भत्ता देय होगा। तीन माह से अधिक अवधि के प्रशिक्षण हेतु 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर निवास करने की शर्त लागु नहीं होगी।

(ख) छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का भुगतान :–

पंजीकृत निर्माण श्रमिक का चयन प्रशिक्षण हेतु होने पर शासन द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से शिष्यावृत्ति का भुगतान किया जाएगा

(ग) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **कौशल प्रशिक्षण योजनांतर्गत** 6165 प्रशिक्षणार्थियों को 1,72,49,640 रूपये की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गयी।

8. राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार

(1) योजना का नाम **"राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना 2012"** है। (परिशिष्ट–13)

(2) यह योजना उन भवन ओर अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होंगे, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी हो, तथा वैध परिचय पत्रधारी हो।

(3) वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक के 18 से 45 वर्ष की आयु के पुत्र–पुत्रियों का राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में विभिन्न स्तर पर चयनित होने पर योजनातंर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

(4) देय लाभ निम्नानुसार है

आयोग का नाम	परीक्षा जिसे उत्तीर्ण किया है	देय हितलाभ
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग	प्रारंभिक परीक्षा	रूपये 15 हजार
	मुख्य परीक्षा	रूपये 25 हजार
संघ लोक सेवा अयोग	प्रारंभिक परीक्षा	रूपये 25 हजार
	मुख्य परीक्षा	रूपये 50 हजार

(5) उपरोक्त लाभ परीक्षा के एक स्तर पर चयनित होने पर जीवनकाल में एक बार प्रदान किया जायेगा।

(6) यदि आवेदक द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के विभिन्न स्तरो हेतु योजनांतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो, तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी चयन हुआ हो तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन हेतु भी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(7) पंजीबद्व निर्माण श्रमिक, जो कि वैध परिचय पत्र धारी है के 18 से 45 वर्ग के पुत्र–पुत्रियों को राज्य लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने पर विभिन्न स्तरों पर चयन होने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जायेगा।

(8) श्रमिक द्वारा लाभ प्राप्त करने के वर्ष के विगत 12 माह में 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष किया जाना आवश्यक होगा।

(9) अपने क्षेत्र के संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया जायेगा।

(10) आवेदन परीक्षा परिणाम आने के तीन माह अर्थात 90 कार्य दिवस की समयावधि में किया जाना होगा।

(11) आवेदन के साथ परीक्षा में चयनित होने की अभिप्रमाणित जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(12) हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें निर्माण श्रमिक के पुत्र–पुत्री के नाम एवं उम्र का उल्लेख हो।

(13) योजनान्तर्गत स्वीकृति के अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को है।

(14) जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के संबंध में वांछित जांच तथा निर्माण श्रमिक के संबंध में सत्यापन उपरांत प्रकरण स्वीकृति किये जायेंगे।
(15) सचिव द्वारा आवेदन प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रकरण स्वीकृति योग्य पाये जाने पर स्वीकृत कर जिला श्रम कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।
(16) स्वीकृति उपरांत एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का एकाऊण्ट पेयी चेक पंजीबद्ध हिताधिकारी के नाम से जारी किया जावेगा।
(17) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता पर पुरूस्कार योजनांतर्गत** 03 प्रशिक्षणार्थियों को 45,000 रूपये की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गयी।

योजना मे उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति मे श्रमायुक्त का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

9. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना

(1) योजना का नाम ''भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक पेंशन योजना 2013'' है।
(2) विगत 2 वर्षो से निरतंर वैध परिचय–पत्रधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलंबन पेंशन योजना के प्रावधानानुसार स्वयं का वार्षिक/मासिक अंशदान वर्ष में न्यूनतम रू. 1000 पी एफ आर डी ए द्वारा पंजीकृत एग्रीगेटर संस्था में जमा करता हो, को योजनान्तर्गत लाभ की पात्रता होगी। **(परिशिष्ट–14 तथा 14.1)**
(3) योजना में लाभ हेतु आवेदन, पेंशन फण्ड डेव्लपमेंट एण्ड रेगुलेशन अथॉरटी द्वारा अधिकृत स्वालंबन पेंशन योजना की संचालक संस्थाओं (एग्रीगेटर्स) को किया जायेगा।
(4) उपरोक्त आवेदनकर्ताओं की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संचालक संस्था द्वारा पी एफ आर डी ए को प्रेषित कर प्रान (PRAN पेंशन रजिस्ट्रेशन एकाऊंट नम्बर) कार्ड प्राप्त कर आवेदकों को वितरित किये जायेंगे।
(5) पेंशन फण्ड डेव्लपमेंट एण्ड रेगुलेशन अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा अधिकृत स्वालंबन पेंशन योजना की संचालक संस्थाओं द्वारा, योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों की सूची प्रेषित की जायेगी। जिसमें उनके प्रान कार्ड नम्बर का उल्लेख होगा।
(6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों द्वारा 1000 रू. न्यूनतम अंशदान दिया गया हो, तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा रू. 1000 का अंशदान प्राप्त हो गया हो, उनकी सूची संचालक संस्था (एग्रीगेटर्स) द्वारा प्रमाण सहित मण्डल कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
(7) कण्डिका (2) में उल्लेखित सूची की प्राप्ति पर सूची में उल्लेखित नामों के आधार पर प्रति हितग्राही रू. 1000 की दर से एकमुश्त राशि, एग्रीगेटर्स संस्था के नाम से एकाऊंट पेयी चैक द्वारा, मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के पी एफ आर डी ए द्वारा संधारित खातों में जमा किये जाने हेतु भुगतान की जायेगी।
(8) एग्रीगेटर्स संस्था द्वारा समय–समय पर खातों में जमा राशि की अभिप्रमाणित जानकारी प्रेषित की जायेगी।

10. पंडित दीन दयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना

(1) योजना का नाम **''पंडित दीन दयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013''** है। **(परिशिष्ट–15 एवं 15.1)**

(2) योजना का उद्देश्य असंगठित निर्माण श्रमिक जो रोजगार प्राप्त करने हेतु शहरों में सड़क के किनारे खड़े होते है, उन्हें बरसात एवं धूप से बचने हेतु विश्राम एवं छाया के लिये शेड/आश्रय का निर्माण करना है।

(3) पंजीकृत **असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजनाओ** के अंतर्गत नगरीय निकायो द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर पीठा श्रमिकों के लिये शेड निर्माण हेतु मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में संबंधित नगरीय निकाय को रू. 10 लाख तक की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) प्रथम किस्त रूपये 1 लाख कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा उसके पश्चात निर्माण कार्य के चरणवार (उदाहरण के लिये कुर्सी निर्माण, शेड की दीवार आदि निर्माण, शेड की छत निर्माण एवं फिनिशिंग पर) कार्य पूर्णतः संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

(5) शेड के लिये भूमि तथा शेड निर्माण के पश्चात समस्त संधारण कार्य तथा इनमे पेयजल तथा प्रसाधन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संबंधित नगरीय निकायो का होगा।

(6) नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय द्वारा ऐसे स्थानों का चयन कर जहां नियमित रूप से निर्माण पीठा श्रमिक कार्य की खोज में एकत्रित होते है, शेड निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव मण्डल को प्रेषित किया जाएगा। जिसमें स्थान की उपयुक्तता, भूमि की उपलब्धता, शेड का क्षेत्रफल तथा उसमें पेयजल एवं प्रसाधन जैसी सुविधाएं और निर्माण लागत तथा भविष्य में संधारण आदि की जानकारी सम्मिलित होगी। इस तरह सभी नगरीय निकाय योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार शेड के प्रस्ताव तैयार कर सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को भेजेंगे।

जिससे उक्त योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक लाभान्वित हो सकें तथा ऐसे श्रमिकों को आश्रय/शेड की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकें।

(7) नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर मण्डल के सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वांछित अनुमति नगरीय निकाय को प्रेषित की जाएगी। जिसके पश्चात शेड निर्माण का कार्य नगरीय निकाय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा।

(8) जिन नगरीय क्षेत्रो में पूर्व से शेड स्वीकृत है, किंतु पर्याप्त राशि के अभाव में निर्माण प्रारंभ नही हो सका है। उन नगरीय निकायो द्वारा पुनः युक्तियुक्त प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा जिन्हे मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रदान करने पर शेष राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

(9) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **पंडित दीन दयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड)** वर्ष 2013 से अभी तक पूर्व योजना के अंतर्गत 67 शेडो का निर्माण किया गया है। नवीन योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 04 निर्माण श्रमिक शेड स्वीकृत कर प्रथम किश्त की राशि जारी की गयी है।

11–12. सुपर 5000 (कक्षा–10) एवं सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना

(1) योजना का नाम **"सुपर 5000 योजना (कक्षा–10)"** एवं **"सुपर 5000 योजना (कक्षा–12)"** है। (परिशिष्ट–16, 17 एवं 18.1)

(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रियो जो म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप

में अध्ययन करते हुये कक्षा 10वीं में संपूर्ण राज्य की मेरिट में सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित हैं, अथवा कक्षा 12वीं में संपूर्ण राज्य के मेरिट में अपने संकाय के सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित हैं, उन्हे आगे अध्ययन जारी रखने के लिये एकमुश्त रूपये 25,000 की सहायता एक बार प्रदान की जाएगी।

(3) वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्रिया योजना के लिए पात्र होंगे।.

(4) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की ऐसी संताने पात्र होंगी जो म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की परीक्षा में किसी शासकीय विद्यालय में अथवा स्वाध्यायी विधार्थी के रूप में अध्ययन करते हुये संपूर्ण राज्य की मेरिट में अथवा अपने संकाय के सर्वोच्च 5000 बच्चो में सम्मिलित है।

(5) किसी वर्ष के लिये प्रोत्साहन राशि आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पश्चात ही देय होगी।

(6) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, सुसंगत परीक्षा में मेरिट में सर्वोच्च 5000 रैंक में सम्मिलित होने के प्रमाण के साथ, संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की अनुसंशा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(7) हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जिसमें निर्माण श्रमिक के पुत्र–पुत्री के नाम एवं उम्र का उल्लेख हो।

(8) प्राप्त आवेदन पर प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(9) योजना के अंतर्गत असंगठित पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की अनुसंशा उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे।

(10) स्वाध्यायी विद्यार्थी के प्रकरण में आवेदन उस विद्यालय के प्राचार्य की अनुशंसा के उपरांत प्रेषित किये जाऐंगे, जिस विद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का सुसंगत परीक्षा का फार्म अग्रेषित किया गया हो।

(11) स्वीकृति की अनुशंसा/स्वीकृति के पूर्व संबंधित छात्र/छात्रा के पिता/माता के मण्डल में जीवित पंजीयन होने के साक्ष्य स्वरूप मूल परिचय पत्र का अवलोकन करना अनिवार्य होगा। परिचय पत्र की छाया प्रति के आधार पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(12) जांच के समय पंजीकृत हितग्राही के विगत 12 माह में 90 दिन निर्माण कार्य करने की पुष्टि किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 5000 छात्र/छात्राओ की मेरिट सूची प्राप्त कर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(14) प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रोत्साहन राशि पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन–पत्र म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी मेरिट के प्रमाण सहित संबंधित विद्यालय जहॉ से 10वीं/12वीं कक्षा उर्त्तीण की है के प्राचार्य की अनुसंशा के साथ संबंधित जिले के श्रम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(15) संबंधित श्रम अधिकारी द्वारा वांछित जॉच उपरांत पात्र पाये जाने पर आगामी कक्षा में प्रवेश लेने पर योजनानुसार राशि के भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

(16) हितलाभ स्वीकृति उपरांत हितलाभ की राशि का एकाउंट पेयी चैक पंजीबद्ध हिताधिकारी के नाम से जारी किया जावेगा।

(17) प्रोत्साहन राशि की दर – रू. 25000

(18) योजना मे उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति मे श्रमायुक्त का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(19) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **सुपर 5000 योजना (कक्षा–10)** में 57 विधार्थियो को 14,06,000 रूपये का हितलाभ एवं **सुपर 5000 योजना (कक्षा–12)** योजनांतर्गत 63 विधार्थियों को 15,62,000 रूपये की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गयी।

13. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजना

(1) योजना का नाम **"व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजना, 2012"** है। (परिशिष्ट–18)

(2) यह योजना उन भवन ओर अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरूष हिताधिकारी हो, तथा वैध परिपत्रधारी हो।

(3) वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक की ऐसी संतानों को जिन्हें मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हुआ हो अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा उर्त्तीण की हो अध्ययन हेतु अनुदान बावत् यह योजना होगी

(4) योजनांतर्गत वैध पंजीकृत निर्माण श्रमिक की आश्रित संतानों के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने/प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण होने पर अध्ययन अनुदान के रूप में एक बार निम्नानुसार अध्ययन अनुदान एकमुश्त प्रदान किया जायेगा।

1. मेडिकल कालेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 20,000
2. डेण्टल कॉलेज/फिजियोथेरेपी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 15,000
3. नर्सिग कालेज/पेरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने पर राशि रूपये 10,000
4. इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की परीक्षा उर्त्तीण करने पर राशि रूपये 15,000
5. इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रथम वर्ष उर्त्तीण करने पर राशि रूपये 10,000
6. आय.टी.आय. में प्रथम वर्ष उर्त्तीण करने पर राशि रूपये 5,000

(5) पंजीबद्व निर्माण श्रमिक, जो कि वैध परिचय पत्र धारी है।

(6) पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने/प्रथम वर्ष में उर्त्तीण होने पर अध्ययन अनुदान राशि देय होगी।

(7) अपने क्षेत्र के संबंधित जिला श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया जायेगा।

(8) आवेदन के संलग्न हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का जीवित पंजीयन जिसमें पुत्र पुत्रियों (जिनके चयन/उत्तीर्ण होने के संबंध में आवेदन किया जा रहा है) का उल्लेख हो। संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(9) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण होने के संबंध में सत्यापित अंकसूची

अथवा

चयन के संबंध में अभिप्रमाणित जानकारी तथा दाखिला लिये जाने के संबंध में अभिप्रमाणित जानकारी संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(10) योजना में स्वीकृति के अधिकार संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रमदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी को है।

(11) जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के संबंध में वांछित जांच तथा निर्माण श्रमिक के संबंध में सत्यापन उपरांत प्रकरण स्वीकृत किये जायेंगे।

(12) स्वीकृति होने पर जिला श्रम कार्यालय द्वारा एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का एकाऊण्ट पेयी चेक पंजीबद्ध हिताधिकारी के नाम से जारी किया जावेगा।

(13) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन अनुदान योजनांतर्गत** 14 विधार्थियों को 1,42,000 रूपये की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गयी।

योजना मे उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति मे श्रमायुक्त का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

14. मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना

(1) योजना का नाम मुख्यमंत्री भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र) योजना 2013 हैं।

(2) **सेवा का उद्देश्यः–** पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 14 नगरीय निकायों– ग्वालियर, सागर, रीवा, सिंगरौली, सतना, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं उज्जैन के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत ऐसे निर्माण श्रमिक इस योजना के पात्र हितग्राही होंगे जो विगत लगातार 2 वर्षो (परिशिष्ट–14.1) से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक है।

(3) **योजना का हितलाभ :–** परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित हितग्राही को रू. 1 लाख प्रति आवासीय इकाई की राशि अनुदान के रूप में म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा दी जायेगी जिसका भुगतान योजना की संचालनकर्ता एजेंसियों को परियोजना की शर्तो के अनुरूप मण्डल द्वारा दिया जायेगा। (राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2014 संशोधित अधिसूचना दिनांक 14 मार्च 2014 की प्रति परिशिष्ट–19 एवं 19.1 में संलग्न हैं।)

(4) पंजीबद्व निर्माण श्रमिक, जो कि वैध परिचय पत्र धारी है, को योजना का लाभ प्राप्त होगा।

(5) **पात्रता की शर्तें एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेजः–**

(i) विगत लगातार 2 वर्षों से निरंतर हिताधिकारी परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक।

(ii) जिन्होंने शासन की किसी अनुदान योजना में आवास का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।

(iii) जिनके स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों के नाम पर आवास न हो अथवा स्वयं के अथवा परिवार के आश्रित सदस्य के नाम संबंधित नगरीय क्षेत्र में मात्र कच्चा मकान (झोपड़ी) हों।

(vi) जिनकी आय परियोजना अनुसार निर्धारित आय सीमा की शर्तो के अनुरूप हों। जिनका परियोजना के प्रावधानानुसार आवासीय इकाई आवंटन हेतु संबंधित एजेंसी द्वारा चयन किया गया हो।

(vii) आवासीय इकाई हेतु स्वयं के अंशदान की राशि प्रदान करने व वांछित ऋण लेने हेतु सहमत हो।

(6) **हिताधिकारी की चयन की प्रकिया :–** मण्डल के पात्रताधारी पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवासीय भवन निर्माण के लिये आवेदन संबंधित जिला श्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

(7) ऋण प्रकरण बैंक को अग्रेषित करते हुये त्रिपक्षीय अनुबंध करते हुये ऋण वितरण की कार्यवाही संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। अनुदान स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय श्रम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) अधिकृत होंगे।
(8) निर्माण श्रमिक द्वारा अन्य सामान्य आवेदन की भांति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे व इसके अतिरिक्त मण्डल में निरंतर 2 वर्ष से वैध पंजीयन होने बाबद प्रमाण – पत्र भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
(9) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **मुख्यमंत्री भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय क्षेत्र)** योजनांतर्गत 163 प्रकरणों में कार्यवाही निरंतरित है।

परियोजना के अंतर्गत मापदण्ड की पूर्ति करने पर पात्र निर्माण श्रमिकों को चयनित किया जावेगा तथा निर्माण कार्य के अंतिम चरण में हिताधिकारी के ऋण खाते में 1 लाख का अनुदान दिया जावेगा।

15. मुख्यमंत्री, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अनुसार न्यूनतम 2 वर्षों से निरन्तर हिताधिकारी परिचय पत्र धारी आवासहीन अथवा कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत, निर्माण श्रमिकों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए, **मुख्यमंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना, 2013** प्रारम्भ की गई है। यह एक **" मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण–सह–अनुदान "** योजना है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 5 से 15 वर्षीय पुनर्भुगतान अवधि का ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जायेगा। इस योजना में हितग्राही द्वारा विभिन्न निर्धारित अभिन्यासों के अनुरुप, अपने आवास का निर्माण स्वयं किया जायेगा। श्रम विभाग के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा उक्त योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। **(संलग्न परिशिष्ट–20 एवं 20.1)**

योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण म.प्र.राज्य के ग्रामीण क्षेत्र (शहरी एवं नजूल बाह्य क्षेत्र को छोड़कर) किया जायेगा।

इस योजना में न्यूनतम 225 वर्गफीट प्लिंथ एरिया के आवास का निर्माण किया जायेगा। आवास में एक कमरा, रसोइघर, शौचालय/स्नानागार एवं बरामदा रहेगा। आवास का विन्यास, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन हेतु निर्धारित अभिन्यासों के अनुसार किया जावेगा।

आवास के साथ शौचालय निर्माण के लिये समग्र स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/निर्मल वाटिका के अन्तर्गत, प्रावधानित राशियाँ पृथक से स्वीकृत की जा सकेंगी।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों के भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए रूपांकन एवं निर्माण हेतु, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में, आवासों के अनेक विकल्प तैयार कर लिये गये है। हितग्राही इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे किन्तु एक ही क्लस्टर में निर्माण होने पर एक जैसे विन्यास के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य होगा।

इस योजना में आवासीय इकाई की न्यूनतम अनुमानित लागत रू. 1,20,000 मात्र (रू. एक लाख बीस हजार मात्र) होगी। इसमें हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रू. 20,000 मात्र (रू. बीस हजार मात्र) श्रम/सामग्री/सम्मिलित रूप में होगा तथा शेष राशि रूपये 1,00,000 मात्र बैंक के द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। इस रूपये 1,00,000 मात्र की राशि में से रूपयें 50,000 मात्र की राशि का पुर्नभुगतान मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा बैंक को समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

यद्यपि चयनित हितग्राही को न्यूनतम रू. 50,000 मात्र (रू. पचास हजार मात्र) का ऋण, बैंक द्वारा दिया जावेगा किन्तु हितग्राही की माँग पर, यदि बैंक चाहेगा तो हितग्राही की पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण कर, पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर, उक्त रु. 50,000 मात्र (रू. पचास हजार मात्र) के ऋण के अतिरिक्त, अधिकतम रु. 30,000 मात्र (रू. तीस हजार मात्र) का अतिरिक्त ऋण, उसे स्वीकृत कर सकेगा किन्तु इस अतिरिक्त ऋण स्वीकृति में राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं होगी। मण्डल द्वारा देय अनुदान की राशि प्रत्येक प्रकरण में रू. 50,000/मात्र (रू. पचास हजार मात्र) तक सीमित होगी।

आवास निर्माण हेतु सामान्यतः 600 वर्गफुट (30feet x 20feet) से 900 वर्गफुट (30feet x 30feet) क्षेत्रफल के भू–खण्ड की आवश्यकता होगी। इस योजना के अंतर्गत ग्राम में रहने वाले, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम, 1996 की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अनुसार न्यूनतम 6 वर्षों से निरन्तर हिताधिकारी परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक (आगे इन्हें केवल **''पंजीकृत कर्मकार''** शब्द से संबोधित

किया जावेगा) के परिवार को आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड की उपलब्धता एवं इस भू–खण्ड को बंधक रखकर बैंक से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक हक विलेखों के संदर्भ में निम्न पांच परिस्थितियाँ होंगीः–

(1) ऐसे **पंजीकृत कर्मकार** परिवार जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रभावशील होने के दिनांक (अर्थात 2 अक्टूबर, 1959) के पूर्व से ग्राम में, आबादी में निवासरत हैं, इस संहिता की धारा 246 के अनुसार धारित भूखण्ड के भूमिस्वामी हैं। ऐसे भू–धारकों के पास भू–स्वामित्व का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं होता है, अतः उन्हें मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ2–22/2010/सात–6 दिनांक 28/12/2010 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार द्वारा आबादी के **भू–खण्ड धारक का प्रमाण पत्र** जारी किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र बंधक के लिखित (इन्स्टूमेंटल ऑफ मोटगेज) के लिए हक विलेख (टाईटल डीड) के रूप में मान्य होगा।

(2) ऐसे आबादी क्षेत्र में जो उक्त संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक के बाद आबादी घोषित की गई है, में :–

(क) स्वीकृत अभिन्यास के अनुरुप **पंजीकृत कर्मकार** को विधि अनुरुप भू–खण्ड एवं इस भू–खण्ड का पट्टा प्राप्त है तो यह पट्टा बंधक के लिखित (इन्स्टूमेंटल मॉटगेज) के लिए हक विलेख (टाईटल डीड) एवं वह इस भू–खण्ड पर आवास निर्माण करने हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगा।

(ख) स्वीकृत अभिन्यास के अनुरुप आबादी घोषित क्षेत्र में **पंजीकृत कर्मकार** विधिवत ग्राम पंचायत से आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है और पट्टा प्राप्त होने पर एवं उपरोक्तानुसार आवास ऋण स्वीकृत होने पर इस भू–खण्ड पर उसके द्वारा आवास निर्माण किया जा सकेगा।

(3) यदि **पंजीकृत कर्मकार** स्वयं की भूमिस्वामी हक की कृषि भूमि पर आवास निर्माण करना चाहता है तो कृषि भूमि से संबंधित अधिकार अभिलेख (Records of Right) हक विलेख के रूप में मान्य होंगे। अतः ऐसे हितग्राही अपनी भूमिस्वामी हक की कृषि भूमि पर स्थित भू–खण्ड पर, विधिसम्मत अनुमतियाँ प्राप्त कर, आवासीय ऋण प्राप्त कर, आवास निर्माण कर सकेंगे।

(4) ऐसे **पंजीकृत कर्मकार** जिन्हें अन्य व्यक्ति के भूमिस्वामी के हक की भूमि पर आवास बनाकर कर रहते हुए **मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1980** के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं इस आशय का घोषणा पत्र धारक के पास है तो ऐसे **पंजीकृत कर्मकार** भी आवास निर्माण हेतु ऋण प्राप्त कर इस भू–खण्ड पर आवास निर्माण कर सकेंगे।

आवासहीन, कच्चे/अर्द्धपक्के आवासों में निवासरत, ग्राम में रहने वाले, **''पंजीकृत कर्मकार''** जो निम्न शर्तें पूर्ण करते हों, इस योजना के पात्र हितग्राही होंगे, कि :–

(i) जो इंदिरा आवास योजना अथवा मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने की पात्रता धारित न करते हों।

(ii) जिनके परिवार के पास अधिकतम तीन हेक्टेयर कृषि भूमि हो

अथवा

जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय रु. 3 लाख वार्षिक तक हो।

(iii) जिनके पास उक्त कंडिका 6 में वर्णित अनुसार, आवास निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

अथवा

जो शासन से आवास हेतु भूमि प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

अथवा

जो अपने स्वामित्व की कृषि भूमि में स्थित भू–खण्ड पर आवास निर्माण के इच्छुक हों।

अथवा

जो ग्राम की आबादी में भू–खण्डधारक प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

(iv) जो निर्धारित अभिन्यास में 225 वर्गफुट प्लिंथ एरिया का आवास निर्माण हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने तथा स्वयं का अंशदान श्रम/सामग्री/सम्मिलित रूप में प्रदान करने के लिए सहमत हों।

(1) जिलों के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जावेगा। जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत क्षेत्रान्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की संख्या के आधार पर, उक्त जिले के लक्ष्य को समानुपातिक रूप से, जनपद पंचायतवार विभाजित कर, संबंधित जनपद पंचायतों को सूचित किया जावेगा।

(2) यदि इस योजना में, जनपद पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम पात्र हितग्राही उपलब्ध होतें हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों के लक्ष्यों का युक्तियुक्तकरण किया जा सकेगा।

(1) इस योजना में, जनपद पंचायतवार लक्ष्य के संबंध में विज्ञापन जारी कर, पात्र पंजीकृत कर्मकारों से इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

(2) ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जनपद पंचायत को प्राप्त आवेदन की, आवेदनकर्ता को पावती दी जावेगी।

(3) इस प्रकार प्राप्त समस्त आवदेनों का, आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात, 15 दिन की समयावधि में, ग्राम पंचायत स्तरीय तीन सदस्यों की समिति द्वारा, परीक्षण पूर्ण किया जावेगा।

(4) इस समिति में निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :

(अ) पंचायत समन्वय अधिकारी

(ब) संबंधित क्षेत्र का पटवारी

(स) संबंधित ग्राम पंचायत सचिव

(5) समिति द्वारा निम्न प्रारूप में समस्त आवेदनों को सूचीबद्ध किया जावेगाः–

क्रमांक	हितग्राही का नाम/पिता का नाम	ग्राम/ग्राम पंचायत	स्वामित्व की कृषि भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आय का स्त्रोत/व्यवसाय	अधिकतम वार्षिक आय (रू. में)	आवेदन दिनांक की स्थिति में विगत न्यूनतम 6 वर्षो से निरंन्तर ''पंजीकृत कर्मकार'' के रूप में वैध पंजीयन की स्थिति (पंजीयन कमांक एवं वैधता)	समिति की अनुशंसा (आवासीय ऋण की पात्रता हैं अथवा नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8

(6) पात्रता के संबंध में, उक्त समिति की अनुशंसा से अंसतुष्ट होने पर, सूची जारी होने के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपील की जा सकेगी।

(7) आवासीय ऋण हेतु समिति द्वारा अनुशंशित **''पंजीकृत कर्मकारों''** की कुल संख्या, जनपद पंचायत स्तर पर, लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में, पारदर्शितापूर्ण ढंग से लॉटरी पद्धति से, हितग्राहियों का चयन एवं प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। लॉटरी पद्धति से यह चयन उक्त समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात 7 दिवसों में पूर्ण किया जावेगा।

(8) इस लॉटरी से हितग्राहियों के नामों का चयन एवं प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, जनपद पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य से दो गुने की संख्या तक सीमित रहेगा।

(9) लॉटरी की प्रक्रिया जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पंचायत समन्वय अधिकारी एवं संबंधित जिले के श्रम अधिकारी द्वारा अपने समक्ष सम्पन्न की जावेगी।

(1) इस योजना में बैंकों से, आवासीय ऋण प्राप्त करने के लिए, हितग्राहियों के ऋण प्रकरण मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के समान ही, जनपद पंचायत के सहायक विकास विस्तार अधिकारियों द्वारा, निर्धारित प्रपत्र में, तैयार किये जा कर, जनपद पंचायत के माध्यम से बैंक शाखाओं में प्रस्तुत किये जावेंगे।

(2) बैंकों में प्रस्तुत ऋण प्रकरणों की संख्या, योजना में जनपद पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य तक सीमित रहेगी किन्तु यदि किसी चयनित हितग्राही के ऋण प्रकरण में, बैंक द्वारा समुचित कारणों के आधार पर आवासीय ऋण स्वीकृत नहीं किया जावेगा तो फिर उसके स्थान पर, प्राथमिकता के क्रम में अगले हितग्राही का ऋण प्रकरण तैयार कर बैंक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) यह ऋण प्रकरण, उपरोक्तानुसार लॉटरी पद्धति से हितग्राहियों के चयन के पश्चात, चयनित हितग्राहियों के आवासीय ऋण प्रकरण, 15 दिवसों की समयावधि में, बैंकों में प्रस्तुत किये जावेंगे।

(4) यदि इस योजना में, जनपद पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम पात्र हितग्राही उपलब्ध होतें हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायतों के लक्ष्यों का युक्तियुक्तकरण किया जा सकेगा।

(5) भविष्य में अतिरिक्त अथवा नवीन लक्ष्य प्राप्त होने पर उपरोक्त प्राथमिकता क्रम में ही ऋण प्रकरण बैंक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे।

(i) बैंक द्वारा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार, आवेदन पत्र की जांच कर, संलग्न अभिलेखों एवं हक विलेख के बंधक की लिखित के आधार पर **हितग्राही** को आवास ऋण स्वीकृत किया जावेगा। बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रकरणों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के समान एवं इस मिशन में बैंकों से निष्पादित किये गये Memorandum of Understanding में विहित शर्तों के अनुरूप ही किया जावेगा किन्तु अन्तर यह रहेगा कि हितग्राही की पात्रता की शर्तें उपरोक्त कंडिका **7** में दर्शित अनुसार मान्य की जावेंगी।

(ii) बैंक ऋण–पुनर्भुगतान क्षमता एवं लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करेंगे। बैंक किसी भी हितग्राही के ऋण आवेदन को अस्वीकार कर सकेंगी किन्तु उसे अस्वीकृति का समुचित कारण स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

(iii) चयनित हितग्राही को, बैंक द्वारा न्यूनतम रू. 50,000/मात्र (रू. पचास हजार मात्र) तक का ऋण, स्वीकृत कर, किश्तों में वितरित किया जावेगा। हितग्राही की माँग पर, यदि बैंक चाहेगा तो हितग्राही की पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण कर, पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर, उक्त रु. 50,000/मात्र (रू. पचास हजार मात्र) के ऋण के अतिरिक्त, अधिकतम रु. 30,000/मात्र (रू. तीस हजार मात्र) का अतिरिक्त ऋण, उसे स्वीकृत कर सकेगा किन्तु इस अतिरिक्त ऋण स्वीकृति में राज्य शासन की कोई भूमिका नहीं होगी। मण्डल द्वारा देय अनुदान की राशि प्रत्येक प्रकरण में रू. 50,000/मात्र (रू. पचास हजार मात्र) तक सीमित होगी।

(iv) ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया बैंक द्वारा अधिकतम 15 दिवसों में पूर्ण कर ली जाना चाहिये। ऋण स्वीकृति की सूचना हितग्राही को बैंक द्वारा दी जावेगी।

(i) जैसा की उपरोक्त कंडिकाओं में स्पष्ट है कि इस योजना में हितग्राही को बैंक ऋण यद्यपि रू. 50,000/– मात्र (रू. पचास हजार मात्र) का होगा किन्तु हितग्राही को रू. 1,00,000/–मात्र (रू. एक लाख मात्र) की राशि, किश्तों में, बैंक द्वारा प्रदान की जावेगी।

(ii) इस रूपये 1,00,000 मात्र की राशि में से रूपये 50,000 का पुर्नभुगतान मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा बैंक को समान मासिक किश्तों में किया जायेगा।

(iii) तत्पश्चात हितग्राही के द्वारा चयनित विकल्प अनुसार, उसके भूखण्ड पर ले–आउट, इसके लिए निर्धारित अधिकारी द्वारा दिया जायेगा एवं हितग्राही आवास की नींव की खुदाई पूर्ण करेगा। खुदाई पूर्ण होने पर हितग्राही प्रथम किश्त की राशि प्राप्त करने के लिये पात्र होगा। प्रथम किश्त की राशि हितग्राही के बैंक खाते में जमा कर हितग्राही को लिखित में इसकी सूचना दी जायेगी।

(iv) उपरोक्त ऋण एवं अनुदान की किश्तों के वितरण में एक स्थिति यह हो सकती है कि हितग्राही को, बैंक द्वारा किश्तों का भुगतान प्रारम्भ करने के पूर्व हितग्राही का पंजीकरण किसी कारणवश निरस्त कर दिया जावे (यथा हितग्राही के द्वारा विगत एक वर्ष में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य न किया गया हो) तब संबंधित बैंक द्वारा (बैंक को यह सूचना प्राप्त होने के उपरान्त) हितग्राही को ऋण एवं अनुदान का भुगतान प्रारम्भ नहीं किया जावेगा एवं हितग्राही का प्रकरण निरस्त किया जावेगा।

(v) इसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण एवं अनुदान की कुछ किश्तों का भुगतान कर दिये जाने के पश्चात, उपरोक्त कारणों से हितग्राही का पंजीकरण निरस्त कर दिया जावे। इस स्थिति में, हितग्राही को शेष किश्तों का भुगतान तो किया जावेगा किन्तु उन किश्तों में शासकीय अनुदान के बराबर राशि, उसे बैंक ऋण के रूप में ही प्रदान की जावेगी। तात्पर्य यह है कि शेष किश्तों में शासकीय अनुदान सम्मिलित नहीं होगा तथा हितग्राही को प्रदान किये गये समानुपातिक अतिरिक्त ऋण का पुनर्भुगतान उसके द्वारा समान मासिक किश्तों में किया जावेगा।

(vi) चयनित ले–आउट अनुसार हितग्राही द्वारा नींव खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसकी सूचना जनपद पंचायत अथवा वेब–पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने पर बैंक द्वारा पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति उपरांत निम्नानुसार चार किश्तों में, बैंक ऋण एवं मण्डल के अनुदान की राशि को, समानुपात में, हितग्राही के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा :–

क्र.	गतिविधि	अनुमानित निर्माण समयावधि	किश्त : ऋण एवं अनुदान की कुल राशि का प्रतिशत (रू. में)
(i)	ले–आउट	आदेश प्राप्ति के 15 दिन में	–
(ii)	नींव की खुदाई।	15 दिन	हितग्राही का योगदान
(iii)	नींव खुदाई के पश्चात्, नींव, प्लिंथ एवं दीवालों का कार्य पूर्ण करने के लिये।	60 दिन	50%
(iv)	छत तथा दरवाजे एवं खिड़कियों का कार्य पूर्ण करने के लिये।	60 दिन	40%
(v)	शेष आवश्यक कार्य हेतु।	45 दिन	10%

(iv) आवास निर्माण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा बल्कि स्टेज क्लीयरेंस के आधार पर (प्रगति आधारित) उपरोक्तानुसार किश्तों की राशि हितग्राही के बैंक ऋण खाते में, स्थानान्तरित की जावेगी।

हितग्राही को बैंक द्वारा, 10 वर्ष/12 वर्ष/15 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधियों के लिए आवासीय ऋण स्वीकृत किया जावेगा एवं हितग्राही के भू–खण्ड को बंधक रखने के लिए आवश्यक पंजीकरण शुल्क की राशि भी बैंक द्वारा हितग्राही के ऋण में सम्मिलित की जावेगी। इस बैंक ऋण राशि का पुनर्भुगतान, हितग्राही द्वारा समान मासिक किश्तों में किया

जावेगा। इन किश्तों के भुगतान का प्रारम्भ, हितग्राही द्वारा, उसे प्रथम किश्त जारी होने के दिनांक के 6 माह पश्चात् अथवा आवास पूर्ण होने के एक माह पश्चात, जो भी पूर्व हो, किया जावेगा।

ऋण स्वीकृति के साथ ही हितग्राही का जीवन बीमा एवं आवास का बीमा किया जावेगा। बीमा के प्रीमियम की राशि बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण के साथ स्वीकृत की जावेगी तथा इसका पुनर्भुगतान हितग्राही द्वारा देय EMIs में सम्मिलित रहेगा।

यह योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के साथ समन्वय कर क्रियान्वित की जा रही है। अतः इस योजना में भी बैंक ऋण हेतु, आवासीय भू–खण्डों को बंधक रखने के लिए किये जाने वाले पंजीकरण को, स्टाम्प शुल्क से मुक्त रखने पर विचार किया जा रहा है।

(i) आवास ऋण स्वीकृति एवं किश्तों के वितरण की जानकारी हितग्राही को एसएमएस द्वारा दी जावेगी।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अनुरूप ही ई–गर्वर्नेन्स तकनीकि का उपयोग कर जीपीएस/पीडीए (मोबाईल) के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। योजना की प्रगति एवं अन्य विवरण कम्प्यूटर के माध्यम से, मिशन के वेब–पोर्टल एवं मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग के वेब–पोर्टल पर अपलोड किये जावेंगे। जीपीएस आधारित डिजिटल छाया चित्रों के माध्यम से वेबसाइट पर अनुशंसा सहित प्रगति की जानकारी भी अपलोड की जावेगी। (प्रक्रियाधीन)

(iii) बैंक द्वारा आवास ऋण स्वीकृति, किश्तों का वितरण एवं आवास निर्माण की प्रगति, पारदर्शिता के दृष्टिकोंण से बैंक, हितग्राही, अधिकारियों एवं आम नागरिकों के अवकलोकनार्थ वेब–पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। (प्रक्रियाधीन)

(iv) बैंकों को प्रेषित/बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों के संबंध में मासिक जानकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला श्रम कार्यालय को प्रतिमाह प्रेषित की जावेगी।

(v) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **मुख्यमंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजनांतर्गत** 47 प्रकरणों में कार्यवाही निरंतरित है।

इस योजना के क्रियान्वयन में, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए निर्देश भी, यथा अनुकूल प्रभावशील रहेंगे।

16. श्रमिक रैन बसेरा योजना

योजना का विवरण एवं पात्रता– अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत नगरीय निकायो में अन्यंत्र से अस्थायी रूप से आये निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यो के लिये यह योजना लागू होगी।

1. रैन बसेरे हेतु स्थल का चयन तथा रैन बसेरे की क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति होगी –
   - जिलाध्यक्ष
   - नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   - संबंधित जिले का श्रम अधिकारी

2. क्षमता का निर्धारण स्थान विशेष की आवश्यकता के दृष्टिगत किया जाएगा। रैन बसेरा की आवश्यकता व क्षमता के निर्धारण के पूर्व उक्त समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि

प्रश्नाधीन नगर में पूर्व से कोई रैन बसेरा संचालित है या नही और यदि पूर्व से संचालित है तो उसकी occupancy का प्रतिशत कितना है। तथा क्या उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है।

3. रैन बसेरों का निर्माण, रखरखाव व संचालन संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

4. रैन बसेरों में महिला एवं पुरूषों के उपयोग हेतु पृथक–पृथक 02 डोरमेट्री तथा पृथक–पृथक स्नानागार व शौचालय की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के स्टाफ हेतु एक कमरा होगा।

5. संबंधित नगरीय निकाय से उक्त समिति की अनुसंशा सहित प्रस्ताव मंडल में प्राप्त होने पर मण्डल द्वारा रैन बसेरे की कुल लागत की 100 प्रतिशत राशि दो किश्तो में अनावर्ती व्यय ग्रांट के रूप में दी जायेगी। उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, भवन सुसज्जा, फर्नीचर, अलमारी, पलंग, बिस्तर (रजाई/गद्दे, चादर, ताकि आदि) व लॉकर आदि हेतु किया जा सकेगा।

- अनावर्ती व्यय की राशि मण्डल द्वारा निम्न सीमा में देय होगी।
  (अ) चार महानगरों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर हेतु) – 25 लाख
  (ब) अन्य नगर निगमों हेतु – 20 लाख
  (स) नगर पालिकाओं हेतु – 15 लाख
  (द) नगर पंचायतो हेतु – 10 लाख

(क) रैन बसेरों के संचालन संधारण व आवर्ती व्यय वहन का संपूर्ण दायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा। जिसके अंतर्गत संचालन हेतु अमले की व्यवस्था, संधारण संबंधी कार्य, साफ–सफाई, बिजली, पानी, बिस्तर आदि व्यवस्थायें तथा रिकार्ड संधारण सम्मिलित होगा।

(ख) रैन बसेरे का उपयोग निम्न शर्तो के अध्यधीन किया जा सकेगा :–

(i) रैन बसेरा भवन का नाम ''निर्माण श्रमिक रात्री विश्राम गृह'' स्पष्टतः अंकित किया जाये।

(ii) रैन बसेरों में रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा।

(iv) नगरीय निकाय द्वारा रैन बसेरों के उपयोग के संबंध में संधारित रिकार्ड में निर्माण श्रमिक का पंजीयन क्रमांक अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) रैन बसेरो का सुचारू रूप से संचालन व संधारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) रैन बसेरा में विश्राम करने वाले निर्माण श्रमिकों की मासिक जानकारी नगरीय निकाय द्वारा जिलास्तरीय श्रम अधिकारियो द्वारा प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी। **(परिशिष्ट–21)**

(vii) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **श्रमिक रैन बसेरा योजनांतर्गत** 28 रैन बसेरो हेतु 184.99 लाख रूपये आवंटित किये गये।

17. औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना

योजना का विवरण –

1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को निर्माण से संबंधित विभिन्न ट्रेडो जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीषियन, प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर आदि के औजार किट खरीदी हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा।
2. 5 वर्ष में एक बार अनुदान टूल किट की वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 1500 रूपये, दोनो मे से जो कम हो, राशि हितलाभ के रूप में प्रदान की जायेगी।
3. औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान न्यूनतम 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जायेगा।
4. टूल किट, निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं क्रय किया जाएगा।
5. टूल किट में ट्रेड विशेष के लिये आवश्यक समस्त औजार, जो म.प्र.व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एम.पी.सीवेट) द्वारा निर्धारित किये गये हों, सम्मिलित होना आवश्यक हैं।
6. क्रय के प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निर्माण श्रमिक को टूल किट की राशि का भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।

पात्रताः– तीन वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक योजनांतर्गत हितलाभ हेतु पात्र होंगे।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

योजना में हितलाभ का भुगतान – निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को क्रय के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, पात्रता संबंधी जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा। **(परिशिष्ट–22)**

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजनांतर्गत** 267 निर्माण श्रमिकों को 4,00,500 रूपये हितलाभ के रूप में वितरित किये गये।

18. व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु अनुदान योजना 2014

योजना का विवरण एवं पात्रता–

1. न्यूनतम 3 वर्ष से निरंतर वैध परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्यों के लिये व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमो की प्रवेश परीक्षाओ की कोचिंग हेतु यह योजना होगी। **(परिशिष्ट–23)**
2. परीक्षार्थी द्वारा चयनित देष की किसी भी कोचिंग संस्थान जो कि योजना की कंडिका ग–(5) में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप हो, में कोचिंग लेने पर योजना के अंतर्गत हितलाभ देय होगा।
3. रू. 20,000 अथवा कोचिंग शुल्क का 75 प्रतिशत (दोनो मे से जो भी कम हो) अनुदान देय होगा।
4. परीक्षार्थी द्वारा अर्हतादायी परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिषत अंक लेना अनिवार्य है।

5. कोचिंग संस्थान –

(i) कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो।

(ii) न्यूनतम 300 विधाथियों को कोचिंग प्रदान की गई हो।

(iii) कम से कम 3 वर्षो से सेवा शुल्क (service tax) प्रदायकर्ता हो।

योजना में हितलाभ का भुगतान –

(i) निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जाएगा।

(ii) कोचिंग संस्थान जहां स्थित है वहा के स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत/नगरीय निकाय) द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

(iii) हितलाभ का भुगतान कोचिंग संस्थान के खाते में इलैक्ट्रानिक कैश ट्रांसफर पद्धति से किया जायेगा।

(iv) हितलाभ का भुगतान, हितग्राही द्वारा देय 25 प्रतिशत कोचिंग शुल्क के भुगतान की प्रमाणिक जानकारी देने पर किया जायेगा।

(v) यह अनुदान एक स्तर की प्रवेष परीक्षा के लिये अधिकतम दो बार देय होगा।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

19. खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2014

योजना का विवरण :–

अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण क

र्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना होगी। इस योजना का लाभ योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा। **(परिशिष्ट–24)**

पात्रता :– (i) हितलाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य को मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता होने पर अथवा किसी जिला स्तर/संभागीय स्तर/राज्यस्तरीय खेल में चयनित होने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

	श्रेणी – ए	**श्रेणी – बी**
स्तर	जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि	मण्डल द्वारा जिला/संभागीय/राज्य स्तरीय खेल में विजेता होने पर प्रोत्साहन राशि
जिलास्तर पर	10,000/–	5,000/–
संभागीय स्तर पर	25,000/–	15,000/–
राज्य स्तर पर	50,000/–	30,000/–

(ii) उक्त प्रोत्साहन राषि प्रत्येक वर्ष के चयन पर पृथक–पृथक देय होगी।

योजना में हितलाभ का भुगतान – श्रेणी–ए पुरूस्कार हेतु मान्यता प्राप्त खेल संस्था के माध्यम से जिले के पुलिस अधीक्षक अथवा जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नानुसार पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा। योजनांतर्गत पात्रता की जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

श्रेणी–बी अंतर्गत मण्डल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता को प्रोत्साहन राशि आयोजक श्रम विभागीय अधिकारी द्वारा प्रदाय की जायेगी।

20. निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014

योजना का विवरण–

भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (ज) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो कि म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत वैध परिचय पत्रधारी नही है/पंजीकृत नही है की निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी। **(परिशिष्ट–25)**

पात्रता–

(1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे,

(2) उत्तराधिकारी– निर्माण श्रमिक का पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नही होने पर अविवाहित पुत्र तथा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उसके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सब के नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उस पर आश्रित हो उत्तराधिकारी होगा।

(3) अंत्येष्टि सहायता – निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात रू. 3000 अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी।

(4) अनुग्रह राशि– योजनांतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी :–

1. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख
2. निर्माण कार्य के दौरान घटित दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रू. 75 हजार

(5) आवेदन के साथ वांछित अभिलेख :–

1. एफ.आय.आर. एवं पंचनामे की प्रति।
2. मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड से प्राप्त विकलांगता प्रमाण–पत्र।

उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जावे।

(6) मृत्यु के छह माह (राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2015) **परिशिष्ट–25.1** तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे।

(7) **अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र** – अंत्येष्टि राशि तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक दृव्यो या पदार्थो के सेवन से हुयी मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके

एक दूसरे से हुयी मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नही की जायेगी।

(8) म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना** के अंतर्गत 22 अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 23,08,000 रूपये हितलाभ के रूप में वितरित किये गये।

(9) **सक्षम अधिकारी** – अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति तथा अपील के लिये सक्षम अधिकारी निम्न सारणी अनुसार होंगे:–

सारणी

सेव ाक्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मृत्यु की दषा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2.	अन्त्येष्टि सहायता	ग्राम पंचायत	अंतिम संस्कार के दिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
		शहरी क्षेत्र– **अ.** नगर निगम	अंतिम संस्कार के दिन	अ. कलेक्टर	7 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. नगर पालिका/नगर परिषद		ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	7 कार्य दिवस	कलेक्टर
3.	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदाय करना	ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र– **अ.** आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्यदिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद्	30 कार्यदिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

21. सायकल अनुदान योजना

योजना का विवरण एवं पात्रताः–

निर्माण श्रमिक जो लगातार 3 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है उन्हें अपने आवास से कार्य पर उपस्थित होने हेतु एवं आवागमन के लिए मण्डल द्वारा सायकल क्रय हेतु अनुदान दिया जावेगा। अनुदान पर क्रय की गयी सायकल 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगी। **(परिशिष्ट–26)**

योजना में हितलाभ –

(i) निर्माण श्रमिक द्वारा सायकल क्रय का बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 2500 जो भी कम हो, सहायता देय होगी।

(ii) उक्त अनुदान सहायता सिर्फ एक बार देय होगी।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त, नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **सायकल क्रय हेतु अनुदान योजना** अंतर्गत 1035 निर्माण श्रमिकों को 25,87,500 रूपये हितलाभ के रूप में वितरित किये गये।

22. दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना 2014

योजना का विवरण एवं पात्रता :– (परिशिष्ट–27)

1. निर्माण श्रमिक को तीन वर्ष तक सतत रूप से वैध परिचय पत्र धारित रहने पर योजनांतर्गत अनुदान देय होगा।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा बैंक ऋण के माध्यम से दो पहिया वाहन क्रय किया जाता है तो कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा रूपये 10000, जो भी कम हो, मण्डल द्वारा अनुदान दिया जाएगा।
3. यह आवश्यक होगा कि उस निर्माण श्रमिक के नाम अन्य दो पहिया वाहन पंजीकृत न हो।
4. अनुदान पर क्रय किया गया दो पहिया वाहन 3 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा।

योजना में हितलाभ का भुगतान – निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को दिया जायेगा। पदाभिहित अधिकारियों द्वारा पात्र हितग्राहियो को योजना की कंडिका ग–2 के अनुरूप हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **दो पहिया वाहन कय हेतु अनुदान योजना** अंतर्गत 67 निर्माण श्रमिकों को 6,70,000 रूपये हितलाभ के रूप में वितरित किये गये।

23. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना

योजना का विवरण –

1. योजनांतर्गत पात्रताधारी निर्माण श्रमिक को स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान होने पर शौचालय निर्माण हेतु रू. 15,000 का अनुदान जीवनकाल में एक बार दिया जाएगा (राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2015)। **(परिशिष्ट–28)**

1.1 पति/पत्नी दोनों के निर्माण श्रमिक होने की स्थिति में भी एक परिवार में एक ही शौचालय निर्माण हेतु राशि प्रदान की जायेगी (राजपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2015)। **(परिशिष्ट–28.1)**

2. निर्माण श्रमिक द्वारा शौचालय संबंधी कार्यवाही स्वयं/स्वयं के स्त्रोतो से की जायेगी।

3. अनुदान की राशि निर्माण श्रमिक को दो किश्तो में प्रदान की जायेगी –
   - 50 प्रतिशत राशि – स्वीकृतकर्ता अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं प्रारंभिक कार्यवाही (नीव खुदाई) करने पर
   - शेष 50 प्रतिशत राशि – निर्माण पूर्ण होने पर

4. निर्माण पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण स्वरूप शौचालय का फोटो निर्माण श्रमिक के 5. साथ खिचवाकर कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

6. उक्त अनुदान जीवनकाल में एक बार तथा एक मकान के लिये एक शौचालय निर्माण हेतु ही दिया जाएगा।

पात्रता :– तीन वर्ष तक सतत् वैध परिचय पत्रधारी वे निर्माण श्रमिक ही योजनांतर्गत पात्र होंगे, जिनके मकान में पूर्व से एक भी शौचालय निर्मित न हो।

पदाभिहित अधिकारी–

(i) ग्रामीण क्षेत्र हेतु – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

(ii) शहरी क्षेत्र हेतु – सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार में

योजना में हितलाभ का भुगतान – निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदाभिहित अधिकारी को स्वयं के मकान होने तथा मकान में शौचालय न होने के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, पात्रता संबंधी जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा हितलाभ भुगतान किया जायेगा।

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्ष 2015–16 में **स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना** अंतर्गत 251 निर्माण श्रमिकों को 20,70,000 रूपये हितलाभ के रूप में वितरित किये गये।

NIC के साथ कम्प्यूटरीकरण हेतु अनुबंध

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीयन, योजनाओं में हितलाभ वितरण एवं उपकर संग्रहण को ऑनलाईन किये जाने हेतु एन.आय.सी. (नेशनल इन्फरमेटिक्स सेंटर) के साथ अनुबंध किया गया हैं जिसके आधार पर एन. आय.सी. द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से हितलाभ वितरण व पंजीयन का मॉड्यूल शुरू किया गया हैं।

म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के विभागीय पोर्टल के माध्यम से **(http://www.labour.mp.gov.in)** योजनांतर्गत (प्रसूति सहायता योजना, चिकित्सा सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह भुगतान एवं अंत्येष्टि सहायता योजना, विवाह सहायता) लाभ सीधे हितग्राही के खाते में वितरित किया जा रहा हैं। पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा नवीनीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया हैं।

4.3 योजनाओं के संबंध में विशेष निर्देश

(1) **आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय–सीमा के भीतर** किया जावे।

(2) योजनाओं के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत नही करनें तथा समय–सीमा के अंतर्गत पंजीयन की कार्यवाही नही करने के संबंध में अथवा आवेदन पत्र आमान्य करनें हेतु अपील की व्यवस्था है।

(3) दोहरीकरण रोकने तथा एक ही प्रकार का लाभ दो योजनाओं से प्राप्त होने की संभावना पर रोक लगाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना– 2007 के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीबद्ध व्यक्ति भवन एवं अन्य संनिर्माण मण्डल में पंजीयन अथवा सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का लाभ दो विभागों/योजनाओं से दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः यदि पंजीबद्ध श्रमिक के परिवार को शासन के अन्य किसी विभाग/योजना के अंतर्गत भी मण्डल द्वारा दी जा रही सहायता की पात्रता है तो पंजीबद्ध श्रमिक के लिए यह विकल्प होगा कि दोनों में से जहां बेहतर सहायता मिल रही है, उसका चयन वह कर सकेगा, किन्तु एक ही प्रकार का लाभ एक से अधिक स्त्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, परंतु यह प्रावधान शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत लागू नहीं है।

(5) निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लिये सभी जनपद पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र के लिये श्रम विभाग के अधिकारी, निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को योजना की स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं।

(6) पांच योजनाओं–प्रसूति, विवाह, मृत्यु–सह–अनुग्रह सहायता, निर्माण श्रमिक पंजीयन एवं निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में स्थायी अपंगता सहायता को लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में भी सम्मिलित किया गया है। (परिशिष्ट–29)

4.5 मंडल द्वारा प्रभावशील योजनाओं के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को देय लाभ

मंडल द्वारा प्रभावशील विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर 31.03.2016 की स्थिति मे श्रमिकों को निम्नानुसार हितलाभ प्रदान किये गये हैं :–

तालिका–4.5

वितरित हितलाभ का विवरण

क्र.	योजना का नाम	हिताधिकारियों की संख्या	राशि (करोड़ मे)
1.	प्रसूति सहायता योजना	253470	1339915313
2.	विवाह सहायता योजना	71641	865098791
3.	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	2364181	2008215373
4.	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना	248042	248560593
5.	दुर्घटना सहायता/चिकित्सा सहायता	7303	197723305
6.	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना	28967	690435013
	कुल योग	**2973604**	**5349948388**

4.6 मंडल द्वारा प्रभावशील कल्याण योजनाओं के अंतर्गत हितलाभों की स्वीकृति हेतु अधिकारों का विकेन्द्रीकरण –

(1) मंडल द्वारा प्रभावशील कल्याण योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार पूर्व में मंडल के अध्यक्ष अथवा सचिव में निहित थे। बाद में मंडल द्वारा हितलाभों के त्वरित तथा जिला स्तर पर निराकरण की दृष्टि से जिलों में जनपद पंचायत, नगरनिगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्तर तक अधिकार विकेंद्रित किये गए हैं।

4.7 अन्य कल्याणकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन

(1) निर्माण श्रमिकों की आपात स्थिति मे एम्बुलेंस सेवा

मंडल द्वारा प्रदेश के सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालयों के लिए निर्माण श्रमिकों की आपात स्थिति में चिकित्सालय में पहुचानें हेतु 48 एम्बुलेंस वाहन प्रदान किए गए हैं। एम्बुलेंस सेवा से सम्बन्धित जिलों की जानकारी **परिशिष्ट–30** संलग्न है। निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का प्रचालन फिलहाल श्रम विभाग के अधिकारियों की देख–रेख में कराया जा रहा है। जन सामान्य को एम्बुलेंस सेवा की जानकारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम, कलेक्टर कार्यालय, श्रम कार्यालयों से प्राप्त हो सकेगी। आपात स्थिति के अतिरिक्त अन्य समय में एम्बुलेंस का उपयोग मण्डल से संबंधित कार्य तथा प्रचार–प्रसार हेतु भी मण्डल द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

(2) निर्माण श्रमिकों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड

मंडल द्वारा नगरों के चौक–चौराहों में रोज़गार के लिए बैठने वाले निर्माण श्रमिकों (पीठा श्रमिकों) के लिए बारिश तथा धूप से सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड बनाये जा रहे हैं। ऐसे 140 शेड प्रदेश में सभी नगरों में बनाए जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। बड़े नगरों में आवश्यकतानुसार अधिक संख्या में इन शेडों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में 31.03.16 की स्थिति में 67 शेडों का निर्माण किया जा चुका है। नवीन संशोधित योजना के अनुरूप जिला इंदौर में मांग अनुरूप दो शेड का निर्माण स्वीकृत किया गया हैं। निर्मित एवं निर्माणाधीन शेड स्थलों की जानकारी **परिशिष्ट–31** में संलग्न है।

अध्याय–पांच

उपकर

5.1 मंडल को प्राप्त उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मंडल को 31.03.2016 की स्थिति में रूपए 1725.49 करोड़ उपकर राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपकर संग्रहण की व्यवस्था की गई है अतः मंडल के मुख्यालय एवं जिलों में प्राप्त उपकर की राशि के आधार पर संभाग तथा जिलेवार उपकर संग्रहण की जानकारी परिशिष्ट–32 में संलग्न है।

5.2 उपकर का विनियोजन

मंडल को प्राप्त उपकर राशि का आवंटन जिलों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाता है। उपकर राशि निम्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा/विनियोजित की जा रही हैं :–

तालिका–5.1

उपकर राशि का विनियोजन

क्रमांक	बैंक का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक
2.	पंजाब नेशनल बैंक
3.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
4.	बैंक आफ बड़ोदा
5.	बैंक आफ इंडिया
6.	यूनियन बैंक आफ इंडिया
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र
8.	इंडियन ओव्हरसीज बैंक
9.	केनरा बैंक
10.	इलाहाबाद बैंक
11.	आन्ध्रा बैंक
12.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
13.	विजया बैंक
14.	कार्पोरेशन बैंक
15.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
16.	यूको बैंक
17.	सिंडीकेट बैंक

5.3 जिलों में उपकर संग्रहण की व्यवस्था

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रत्येक निर्माण कार्य से निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर मण्डल को भुगतान करना अनिवार्य है। केवल 10 लाख रूपये तक के निजी आवासों के निर्माण कार्य को उपकर भुगतान से छूट दी गई है।

(2) केन्द्र तथा राज्य सरकार तथा इनके उपक्रमों द्वारा संचालित निर्माण कार्य के प्रत्येक भुगतान से एक प्रतिशत उपकर राशि काटी जाकर 30 दिन की अवधि में मण्डल को भेजी जायेगी। उपकर भुगतान की सुविधा के लिये जिलों में उपकर राशि जमा करने हेतु खाते खोले गये हैं जिसमें सीधे अथवा श्रम कार्यालय के माध्यम से उपकर राशि जमा की जा सकती है।

(3) निर्माण के सम्बन्ध में नगरीय निकायों से नक्शा अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ निर्माण कार्य का एक प्रतिशत उपकर राशि मण्डल के नाम ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा करना आवश्यक है।
(4) समस्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपकर राशि का निर्धारण कर उपकर वसूली का कार्य राज्य शासन द्वारा श्रम विभाग के अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी को उपकर निर्धारण अधिकारी तथा उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के निम्न अधिकारियों को भी उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया :–

1– समस्त कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित)
2– समस्त आयुक्त, नगरपालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित),
3– समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत (द्वितीय श्रेणीं राजपत्रित),
4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित)
5– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
6– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारियों को उपकर संग्राहक नियुक्त किया है :–

7– समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित न हो)
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित न हों)

(5) प्रदेश के बड़े स्तर के औद्योगिक इकाइयों/संस्थानों के उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु श्रम विभाग के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों जैसे अपर श्रमायुक्त तथा उप श्रमायुक्तों को नामजद अधिकृत कर उपकर वसूली का दायित्व सौंपा गया।

प्रदेश में उपकर निर्धारण के लिए पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए संशोधित अधिसूचना म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 25 नवम्बर 2011 की प्रति **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। उक्त अधिसूचना में किये गये संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 21 मई 2013 **परिशिष्ट–3** पर संलग्न हैं।

मण्डल को देय उपकर राशि समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज के अधिभार के लिये नियोजक उत्तरदायी होगा। जिसका भुगतान नहीं करने पर भू–राजस्व की बकाया वसूली के समान उपकर राशि की वसूली की जा सकती है।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त संहिता की धारा 146 एवं 147 के अधीन तहसीलदार की शक्तियॉ सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम अधिकारियों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उपकर की वसूली के लिये अधिकृत किया गया हैं। अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2012 की प्रति **परिशिष्ट–33** पर संलग्न हैं।

अध्याय – छः
मण्डल की वित्तीय व्यवस्था

6.1 मण्डल के खातों का संचालन

(1) निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रो में प्रदेश के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र में निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत तथा श्रम विभागीय अधिकारियों को योजना की स्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं। सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी अपने जिले मे स्थित खाते से स्वीकृतकर्ता अधिकारियों के खातो में राशि हस्तांतरित करते हैं।

(2) प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उपकर संग्रहण एवं योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिये दो अलग खाते खोले गये हैं उन्हें यथावत जारी रखा गया है।

(3) जिला स्तर पर खातों का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा, जहां पर श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय है वहां पर संयुक्त रूप से श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी एवं कार्यालय मे पदस्थ वरिष्ठ श्रम निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। स्वीकृति उपरांत चेक पर अनुशंसा करने वाले श्रम अधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।

(4) जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी खाते संचालित करने हेतु अधिकृत होंगे। प्रकरण की स्वीकृति, ग्रामीण क्षेत्र में श्रम विभाग का पर्याप्त अमला नहीं होने एवं उनकी पदस्थापना जिला स्तर की होने के कारण विकासखंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर कराया जायेगा।

6.2 मण्डल का बजट

मण्डल का वर्ष (2016–17) के बजट का अनुमोदन किया गया हैं। बजट का सारांश **परिशिष्ट–34** में दर्शाया गया है, जिसमे (2015–16) के वास्तविक व्यय को दर्शाया गया है।

6.3 मण्डल का व्यय

मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तभी संभव है, जब अधोसंरचना विकसित हो। मण्डल के मुख्यालय के व्यय के अतिरिक्त क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय हेतु प्रतिवर्ष बजट आवंटन प्रदाय किया जाता है। योजना व्यय हेतु यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयास है कि जिला स्तरीय मुख्यालय के खाते में रू 50 लाख एवं संभाग स्तरीय मुख्यालय के खाते में रू 75 लाख की न्यूनतम राशि सदैव उपलब्ध रहे। नियम 277 के तहत विनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं तथा नियम 280 के अंतर्गत सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों पर व्यय हेतु प्रतिवर्ष क्षेत्रीय श्रम कार्यालय को तथा उनके माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों नगरीय निकाय तथा अन्य योजनाओ के पदाभिहित अधिकारियो को आवंटन प्रदाय किया जाता है। मण्डल की समस्त गतिविधियों पर हुए व्यय, जिसमें योजनाओं पर व्यय, प्रशासकीय एवं अन्य व्यय की जानकारी वर्ष 2003–04 से 2015–16 (31.03.2016 तक) निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

तालिका–6.2

मण्डल की योजनाओं और प्रशासकीय/अन्य व्यय का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	योजनाओं पर व्यय (करोड़ो में)	प्रशासकीय/अन्य व्यय (करोड़ो में)	कुल व्यय (करोड़ो में)
1	2003–04	0.0	0.35	0.35
2	2004–05	0.01	0.47	0.48
3	2005–06	0.40	1.71	2.11
4	2006–07	01.59	2.60	4.19
5	2007–08	08.70	4.71	13.41
6	2008–09	05.64	7.41	13.05
7	2009–10	20.18	2.36	22.54
8	2010–11	37.52	3.04	40.56
9	2011–12	81.50	2.71	84.21
10	2012–13	115.64	3.36	119
11	2013–14	105.04	5.03	110.07
12	2014–15	58.59	4.41	63
13	2015–16	101.23	4.77	106.00
योगः–		**536.04**	**42.93**	**578.97**

अध्याय – सात
विविध

7.1 मण्डल की गतिविधियों का प्रचार–प्रसार

(1) मण्डल की गतिविधियों से सभी निर्माण श्रमिकों को जोड़ने तथा जन–सामान्य तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने की दृष्टि से प्रचार–प्रसार की कार्यवाही की गई है। सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों, श्रम कार्यालयों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत, एस.डी.एम., ग्राम पंचायतों तक, पंजीयन प्रमाण पत्र, आवेदन पत्रों का प्रारूप तथा ग्राम पंचायतों को ब्रोशर भेजकर अधिक–से–अधिक निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु सहयोग की अपील की गई है। समय–समय पर मण्डल द्वारा पोस्टर, कलेण्डर, हेण्ड बिल्स, पुस्तिका तथा मार्गदर्शिका छपवाई जाकर प्रदेश के जनपद पंचायत स्तर तक के वितरित किये गए। माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से भी समस्त जन प्रतिनिधियों को अपील जारी की गई है।

(2) विश्वकर्मा जयन्ती, श्रमिक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर पंजीयन, योजनाओं के लाभ तथा प्रचार प्रसार का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया गया।

(3) मण्डल की वेबसाइट जनवरी 2008 से प्रारंभ है। इसे **http://www.labour.mp.gov.in** लॉग इन किया जाकर, मण्डल से संबंधित सुविधाओं तथा अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मण्डल से पत्र व्यवहार एवं जानकारी हेतु ई–मेल सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे ई–मेल आई.डी. **mpbocbhopal@yahoo.co.in** पर ई–मेल किया जा सकता है।

7.2 गणतंत्र दिवस समारोह (26 जनवरी 2013) की झांकी

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मण्डल एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी सहित एक भव्य झांकी का प्रदर्शन किया गया। झांकी में मध्यप्रदेश में मण्डल की उपलब्धियों पर सजीव मॉडल प्रस्तुत करते हुए मण्डल की योजनाओं और प्रसुविधाओं की जानकारी जनसामान्य को दी गई।

7.3 संभागीय/जिला सलाहकार समितियां

मण्डल का सीधा पर्यवेक्षण, श्रम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा विकेन्द्रीकरण के पश्चात एस.डी.ओ. (राजस्व) तथा जनपद पंचायत स्तर पर नहीं होने के कारण मण्डल की योजनाओं के क्रियान्वयन, पंजीयन, खातों के संचालन के कार्य में सलाह देने की दृष्टि से संभाग स्तर पर संभागीय सलाहकार समिति तथा जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति गठित किये जाने का प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 11.07.2008 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है। इन समितियों मे निम्नानुसार सदस्य होंगे तथा समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह मे अनिवार्यतः आयोजित की जावेंगी।

तालिका–7.2
संभागीय सलाहकार समिति

क्र.	पदनाम	विवरण
1	संभाग आयुक्त	अध्यक्ष
2	सहायक श्रमायुक्त	सदस्य सचिव
3	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
4	उन श्रम संगठनों के प्रतिनिधि जिनका प्रतिनिधित्व मण्डल में है.	सदस्य
5	बिल्डर्स/शासकीय नियोक्ता के दो प्रतिनिधि	सदस्य
6	तीन सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिनमें एक महिला, अनिवार्यतः हो. (यह प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों के न हो)	सदस्य

तालिका–7.4
जिला स्तर पर सलाहकार समिति

क्र.	पदनाम	विवरण
1	जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2	सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4	समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य
5	बिल्डर्स/नियोक्ता संघों के दो सदस्य	सदस्य
6	उन श्रम संगठनों के प्रतिनिधि जिनका प्रतिनिधित्व मण्डल में हो	सदस्य
7	तीन सामाजिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिनमें एक महिला, अनिवार्यतः हो. (यह प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों के न हो)	सदस्य

मण्डल द्वारा सभी संभागीय सलाहकार समिति के गठन का अनुमोदन दिया जा चुका है। संभागीय आयुक्त द्वारा इन समितियों का गठन किया जाकर बैठकें प्रारंभ की जा चुकी हैं।

संभागों में बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया निरंतरित है। जिला स्तरीय सलाहकार समिति का अधिकांश जिलों में गठन पूर्ण हो चुका है। शेष में गठन हेतु प्रक्रिया निरंतरित है।

7.5 मण्डल की प्रगति –

(1) मण्डल के गठन के पश्चात से अब तक (31.03.2016 की स्थिति में) निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, लाभांवित श्रमिकों की संख्या तथा दिए गए हितलाभ की राशि की संभाग तथा जिलेवार जानकारी परिशिष्ट–35 मे दी गई है।

मण्डल द्वारा योजनाओं मे स्वीकृति के अधिकार का विकेन्द्रीकरण किया जाकर जनपद एवं नगरीय निकाय स्तर पर प्रदत्त किये जाने से निर्माण श्रमिकों को शीघ्र ही योजनाओं का लाभ प्राप्त होना संभव हो पाया है। इससे श्रमिक जिला स्तर पर न आकर स्थानीय स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2010–11 में 2.03 लाख हिताधिकारियों को योजनाओं में रूपये 37.52 करोड़ के हितलाभ तथा वर्ष 2011–12 में सर्वाधिक 5.16 लाख हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं में रूपये 81.50 करोड़ के हितलाभ एवं वर्ष 2012–13 में 7.04 लाख हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 115.61 करोड़ के हितलाभ प्रदान किये गये, तथा वर्ष 2013–14 में 5.55 लाख हितग्राहियों को 105.04 करोड़, वर्ष 2014–15 में 3.14 हितग्राहियो को 58.59 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में 5.16 लाख हितग्राहियो को 101.23 करोड़ के हितलाभ वितरित किये गये हैं।

उपकर संग्रहण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 में जहां 9.74 करोड़ उपकर राशि प्राप्त हुई थी; वहीं प्रतिवर्ष उपकर वसूली की प्रगति निरंतरित होते हुए वर्ष 2010–11 में रूपये 121.19 करोड़ एवं वर्ष 2011–12 में रूपये 136.39 करोड़ की वसूली की गई है, तथा वर्ष 2012–13 में रू. 225.76 करोड़ की व वर्ष 2013–14 में 264.49 करोड़ की वसूली की गई, वर्ष 2014–15 में 303.58 तथा वर्ष 2015–16 में 286.44 करोड़ उपकर के रूप में प्राप्त हुये हैं।

*** 0 ***